बिहार सरकार
कृषि विभाग

मासिक पत्रिका

खेती बारी

मई, 2025 वर्ष – 07 अंक – 02

खरीफ फसल का शुभारंभ

खुशहाल किसान - समृद्ध राष्ट्र

किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय

खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित

	मूल्य : रुपये प्रति क्विंटल	
फसल	2013-14	2025-26
धान- सामान्य	₹1,310	₹2,369
धान - ग्रेड A	₹1,345	₹2,389
ज्वार - हाइब्रिड	₹1,500	₹3,699
ज्वार - मालदंडी	₹1,520	₹3,749
बाजरा	₹1,250	₹2,775
रागी	₹1,500	₹4,886
मक्का	₹1,310	₹2,400
तुअर दाल	₹4,300	₹8,000
मूंग दाल	₹4,500	₹8,768
उड़द	₹4,300	₹7,800
मूंगफली	₹4,000	₹7,263
सूरजमुखी बीज	₹3,700	₹7,721
सोयाबीन (पीला)	₹2,560	₹5,328
तिल	₹4,500	₹9,846
नाइजरसीड	₹3,500	₹9,537
कपास (मध्यम रेशा)	₹3,700	₹7,710
कपास (लंबा रेशा)	₹4,000	₹8,110

मासिक
खेती बारी
वर्ष–07 अंक–02

मुख्य संरक्षक

श्री विजय सिन्हा
माननीय कृषि मंत्री, बिहार सरकार

मार्गदर्शन

श्री संजय कुमार अग्रवाल (भा.प्र.से.)
सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार

श्री नितिन कुमार सिंह (भा.प्र.से.)
निदेशक, कृषि, बिहार

संपादक

श्री धन्नजय पति त्रिपाठी
निदेशक, बामेती, बिहार, पटना

संपादक मंडल

डॉ. एम.डी. ओझा
मुख्य वैज्ञानिक (उद्यान)

डॉ. एस.पी. सिन्हा
वरीय वैज्ञानिक, कृषि अन्वेषणालय, बिहार, पटना

डॉ. पी.के. मिश्रा
राज्य समन्वयक, आत्मा नोडल सेल, पटना

डॉ. राजेश कुमार
उप निदेशक (शष्य), सूचना, पटना

श्री शशि भूषण कुमार विद्यार्थी
उप निदेशक (प्र.प्र.), बामेती, पटना

श्री रणजीत प्रताप पंडित
उप निदेशक (उद्यान), बामेती, पटना

श्रीमती नीलम गौर
उप निदेशक (मास कम्यु. एवं प्रकाशन), बामेती, पटना

श्री संदीप कुमार
सहायक संपादक

श्री ह्रदय नारायण ठाकुर
पृष्ठ सज्जा

इस पत्रिका में प्रकाशित लेख में व्यक्त विचार तथ्य/ आकड़ा के लिए लेखक उत्तरदायी है। इससे प्रकाशक/ संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –संपादक

संपादकीय

खरीफ फसलों एवं फलों पर अनुदान

बिहार में खरीफ महाअभियान की शुरूआत हो चुकी है। कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने का आह्वान किया गया। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से नयी–नयी योजनाएं संचालित की जा रही है। किसानों के सहायतार्थ बीज पर अनुदान तथा समूह खेती पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यभर में किसानों के लिए किसान चौपालों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही किसानों को चौपाल के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं नयी तकनीक से खेती की जानकारी दी जा रही है। बिहार को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, उन्नत बीज, जैविक विधियां और डिजिटल नवाचार को अपनाना जरूरी है। विभाग के अधिकारी एवं वैज्ञानिक इस ओर किसानों के बीच कार्य कर रहे हैं। वितीय वर्ष 2025–26 के लिए बगीचों एवं फसलों में कीट प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना में आम, लीची, केला, अमरूद और पपीता जैसे फलों को शामिल किया गया है। आम के वृक्षों में कीट और फ्रूट ड्रॉप की समस्या के समाधान के लिए किसानों को प्रथम छिड़काव पर 57 रूपये प्रति वृक्ष तथा द्वितीय छिड़काव पर 72 रूपये प्रति वृक्ष की दर से अनुदान दिया जायेगा। एक किसान अधिकतम 112 वृक्षों तक इस योजना का लाभ ले सकता है। लीची में प्रथम छिड़काव के लिए 162 रूपये प्रति वृक्ष द्वितीय छिड़काव के लिए 114 रूपये प्रति वृक्ष का अनुदान मिलेगा। जिसमें एक किसान अधिकतम 84 वृक्षों तक की सुविधा प्राप्त कर सकेगा। वहीं अमरूद की फसल के लिए प्रथम छिड़काव 33 रूपये तथा द्वितीय 45 रूपये प्रति वृक्ष की दर से 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, और एक किसान को प्रति छिड़काव 56 वृक्षों पर लाभ प्राप्त होगा। वही केला और पपीता के पौधों के लिए योजना के तहत प्रथम छिड़काव के 50 प्रतिशत अथवा 2150 प्रति एकड़ वृक्ष तथा द्वितीय छिड़काव पर 50 प्रतिशत अथवा दो हजार रूपये प्रति एकड़ अनुदान निर्धारित किया गया है। इससे लोगों को प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलेगी तथा फल उत्पादकता की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा।

धनन्जय पति त्रिपाठी

विषय सूची

01	माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि क्षेत्र को लाभकारी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम	03
02	बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च	05
03	मखाना– ''माँ का खाना'' : विजय कुमार सिन्हा	08
04	किसान संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित	09
05	मीठी मक्का की उन्नत उत्पादन तकनीक	10
06	बेबी कॉर्न मक्का की खेती कैसे करें	12
07	ढैंचा की खेती	14
08	बागवानी में आधुनिक खेती करने वाले किसान सम्मानित	15
09	फूल की खेती ने बढ़ाया अरविन्द का मान	16
10	मूंग की खेती का सही समय	18
11	खेतों में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए अनुदान	22
12	कृषि उद्यमिता के लिये वित्तीय सशक्तिकरण व समर्थन प्रणाली	26
13	ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी सहित कई फसलों की खेती के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान	37
14	आत्मा के सहयोग से समेकित कृषि से बने आत्मनिर्भर	38
15	बकरी पालन कर रवि शंकर बने आत्मनिर्भर	39
16	विशाल राज कर रहे मधुमक्खी पालन	39
17	कृषि को अपनाकर खुशहाल बने किसान	40
18	समेकित कृषि प्रणाली से मिला पहचान	41

माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि क्षेत्र को लाभकारी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम

मुख्यमंत्री ने 315 नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को प्रदान किया नियुक्ति-पत्र

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मीठापुर स्थित कृषि भवन में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने 315 नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति–पत्र प्रदान किया। साथ ही कृषि विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों सुश्री जया किरण, ईरम आरजू, साक्षी कुमारी, गणेश कुमार, शुभम कुमार, प्रतिमा मुर्मू, श्रेया सिंह, अंशु पटेल एवं रश्मि सुप्रिया को सांकेतिक रूप से नियुक्ति–पत्र प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 144.72 करोड़ रुपये की लागत से रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर) के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। तृतीय कृषि रोड मैप (2017–22) के तहत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु आरा (भोजपुर) में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। इस महाविद्यालय की स्थापना से कृषि संबंधित विषयों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह महाविद्यालय नई पीढ़ी को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर 55.26 करोड़ रुपये लागत की 62 अनुमंडल स्तरीय कृषि भवनों का शिलान्यास किया। इसके निर्माण से अनुमंडल स्तर पर कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। इस भवन में किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी कृषि संबंधी सेवाएं, योजनाएं, तकनीकी सलाह और सरकारी सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की

कृषि विभाग की कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बिहार कृषि मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। वहीं कृषि भवन परिसर से मुख्यमंत्री ने खरीफ महाभियान–2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खरीफ महाभियान से संबंधित 20 प्रचार वाहन तथा बीज वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया। यह प्रचार वाहन किसानों को खरीफ मौसम से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि भवन के विभिन्न भागों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कृषि कॉल सेंटर जाकर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री कृषि भवन की छत पर भी गए और वहां से पूरे परिसर को देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छत पर सोलर प्लेट लगाएं, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और कृषि भवन की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि हमलोग शुरू से किसानों के हित में काम कर रहे हैं। चार कृषि रोड मैप बनाए गए हैं, जिससे फसलों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमलोगों का उद्देश्य है कि कृषि के क्षेत्र में भी राज्य की तरक्की हो और किसान समृद्ध बने। कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कृषि रोड मैप एवं कृषि विभाग की उपलब्धियों से संबंधित वीडियो फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने हरित पौधा एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया। वही सीएम ने कृषि भवन परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, जयंत राज, पूर्व कृषि मंत्री सह विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कुलपति डॉ. डीआर सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं नियुक्ति पत्र पानेवाले अभ्यर्थीगण उपस्थित थे।

बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च

राज्य सरकार किसानों को औद्यानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास किया और नए प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा और अनुमंडल स्तरीय कृषि भवनों का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो योजनाओं की जानकारी देगा। खरीफ महाभियान–2025 की भी शुरुआत की गई है। सरकार अब किसानों को वैज्ञानिक तरीके से औद्यानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि विभाग का लक्ष्य किसानों को नकदी खेती के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इसी उद्देश्य से मीठापुर स्थित कृषि भवन में कृषि विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण एवं शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 315 नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों की नियुक्ति कृषि विभाग के लिए की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 144.72 करोड़ रुपये की लागत से रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर) के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु आरा (भोजपुर) में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्ष 2021–22 से इसका संचालन कृषि महाविद्यालय, बक्सर के परिसर में किया जा रहा है। इसके लिए भोजपुर जिला में 16 एकड़ जमीन चिन्हित कर कुल 144.72 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण विभाग के द्वारा भवन का निर्माण किया जाएगा।

इसमें प्रशासनिक भवन, क्लास रूम, पुस्तकालय, छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग छात्रावास, कृषि यंत्रों के लिए कार्यशाला एवं आवासीय परिसर का प्रावधान किया गया है। इस महाविद्यालय में बीटेक (एग्री इजीनियरिंग) में प्रत्येक वर्ष 60 छात्रों का नामांकन किया जाएगा।

भोजपुर के हसनपुर में स्थापित हो रहे कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्देश्य है कि युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि अभियंत्रण की उच्च शिक्षा मिल सके। यह संस्थान न केवल शिक्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि यहां कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इस महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों, पोस्ट–हार्वेस्ट मैनेजमेंट, संरक्षित खेती एवं फसल अवशेष प्रबंधन जैसे विषयों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह महाविद्यालय हमारी नई पीढ़ी को रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध किया गया। मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर 55.26 करोड़ रुपये लागत की 62 अनुमंडल स्तरीय कृषि भवनों का शिलान्यास किया। इसके निर्माण से अनुमंडल स्तर पर कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। इस भवन में किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी कृषि संबंधी सेवाएं, योजनाएं, तकनीकी सलाह एवं सरकारी सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि के अतिरिक्त कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने हरित पौधा एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया।

बिहार कृषि मोबाइल ऐप

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को कृषि की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बिहार कृषि मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यह ऐप किसानों को विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने, उनकी स्थिति जानने, स्वीकृति और पुष्टि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को सहजता से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।

इसके माध्यम से कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं और सूचनाएं डिजिटल रूप से सुलभ हो जाएगी। कृषि विभाग द्वारा विकसित ऐप की यह विशेषता है कि इसमें किसानों के लिए डिजिटल पासबुक की व्यवस्था की गई है, जो बैंक पासबुक की तरह कार्य करती है। इसमें किसान को प्राप्त सभी लाभ, अनुदान, आवेदन की स्थिति, भुगतान की जानकारी आदि सुव्यवस्थित रूप से दर्ज रहेंगे।

खरीफ महाभियान रथ रवाना

कृषि भवन परिसर से मुख्यमंत्री ने खरीफ महाभियान–2025 का शुभारंभ किया। इसके साथ 20 प्रचार वाहन एवं बीज वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया। यह प्रचार वाहन के तहत किसानों को खरीफ मौसम से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने किया राज्यस्तरीय खरीफ कर्मशाला का उद्घाटन

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–कृषि मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा बामेती सभागार, पटना में राज्य स्तरीय खरीफ महाभियान–सह–कर्मशाला 2025 का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई। माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरल हिन्दी शब्दों का प्रयोग ज्यादा–से–ज्यादा करें। इस भाषा के प्रयोग से किसान पदाधिकारियों के साथ सहजता से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी के स्थान पर क्रमशः शारदीय एवं बसंतीय शब्द का प्रयोग किया जाये। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य शारदीय (खरीफ) मौसम के लिए राज्य भर में कृषि योजनाओं एवं तकनीकी कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि तथा जलवायु अनुकूल टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शारदीय (खरीफ) महाभियान के अंतर्गत किसानों तक नई कृषि तकनीकों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीज वितरण कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज समय पर किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता और बेहतर हो सके।

श्री सिन्हा ने मृदा नमूना संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को उनके खेत की मिट्टी के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिससे उत्पादन लागत घटती है और गुणवत्ता में सुधार होता है। उन्होंने शारदीय (खरीफ) मौसम में विभिन्न फसलों पर प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाकर किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती हेतु प्रोत्साहित करने की बात कही।

फार्मर रजिस्ट्री की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी किसानों का डिजिटल पंजीकरण कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 2025–26 के माध्यम से सूखा एवं बाढ़ जैसी परिस्थितियों के प्रति सहनशील किस्मों और समेकित कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कृषि यांत्रिकरण योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के माध्यम से किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। शारदीय (खरीफ) महाभियान में उर्वरकों एवं अन्य आगतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अग्रिम कदम उठा रही है। महाभियान के अंतर्गत डिजिटल टूल्स के उपयोग से किसान समय पर सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने धान/संकर धान, मक्का, मोटे अनाज (मिलेट्स), दलहन एवं तेलहन की वैज्ञानिक खेती पर विशेष जोड़ देते हुए कहा कि इन फसलों की उन्नत खेती से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने शारदीय (खरीफ) मौसम में लगने वाली फसलों के कीट व रोग प्रबंधन के लिए समेकित तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। शारदीय (खरीफ) फसलों एवं प्याज की वैज्ञानिक खेती एवं उनके विपणन पर भी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

सचिव, कृषि विभाग, बिहार श्री संजय कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि शारदीय (खरीफ) मौसम में राज्य के कृषि तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं जिलास्तरीय इकाईयों को समन्वयपूर्वक कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी जानकारी, उन्नत बीज, कृषि यंत्र, जैविक पद्धतियां और डिजिटल नवाचारों को अपनाकर बिहार कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाया

जा सकता है।

कार्यशाला में विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों, वैज्ञानिकों और कृषि कर्मियों को आगामी शारदीय (खरीफ) मौसम की योजनाओं की रूपरेखा से अवगत कराया गया।

शारदीय (खरीफ) महाभियान का मुख्य आकर्षण

- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर कमलों से शारदीय (खरीफ) महाभियान, 2025 का शुभारम्भ– 19 मई, 2025
- राज्यस्तरीय शारदीय (खरीफ) कर्मशाला, 2025 का आयोजन– 20 मई, 2025
- जिला स्तरीय शारदीय (खरीफ) कर्मशाला, 2025 का आयोजन– 22 मई, 2025
- प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण– सह– उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन – 26 मई से 01 जून तक
- सभी पंचायतों में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन – 02 जून से 21 जून तक
- रथ पर एल.ई.डी. स्क्रीन लगाया जायेगा, जिसपर कृषि विषय से संबंधित फिल्म चलाये जायेंगे।
- शारदीय (खरीफ) महाभियान में किसानों को बदलते मौसम के परिवेश में धान की सीधी बुआई, जीरो टिलेज से धान की खेती, दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती, ड्रीप और स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति की उपयोगिता आदि विषय की जानकारी दी जायेगी।
- राज्य में जैविक खेती को विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- जिन क्षेत्रों/पंचायतों में फसल अवशेष के जलाने की घटनायें पूर्व में होती रही हैं, उन पंचायतों में शारदीय (खरीफ) महाभियान रथ में विशेषकर फसल अवशेष को नहीं जलाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तैयार वृत्तचित्र को विशेष रूप से चलाया जायेगा।
- प्रत्येक शारदीय (खरीफ) महाभियान रथ के चारों तरफ फ्लैक्सी लगाकर कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी।
- प्रत्येक शारदीय (खरीफ) महाभियान रथ पर एक ऑडियो सिस्टम भी लगातार चलता रहेगा, जिसके माध्यम से कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।
- रथ के माध्यम से प्रखंड स्तरीय कृषि कर्मशाला की जानकारी दी जायेगी तथा किसानों को कर्मशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

मखाना– ‘‘माँ का खाना’’ : विजय कुमार सिन्हा

पटना के एक स्थानीय होटल में आयोजित मखाना पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में बिहार के उप मुख्यमंत्री–सह–कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने मखाना को "माँ का खाना" बताते हुए इसकी पोषणीय एवं आर्थिक महत्ता पर प्रकाश डाला। इस संगोष्ठी का आयोजन बिहार कृषि विज्ञान अकादमी (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर), कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान एसोसिएशन तथा आईएफपीआरआई के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। माननीय मंत्री ने बताया कि देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत तथा विश्व के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा बिहार से आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित मखाना बोर्ड का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है और लगभग 50 हजार मखाना उत्पादक किसानों को सीधे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मखाना–सिंघाड़ा, मखाना–पान, मखाना–मछली की चक्रीय खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने मांग की कि मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बास्केट में शामिल किया जाए।

किसान संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित

बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम एवं युवा किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन गोबरसही में किया गया। माननीय उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम सरकार की एक अनूठी पहल है जो बदलते वक्त के अनुरूप किसानों की बदलती जरूरत के अनुसार किसानों से ही आवश्यक फीडबैक, सुझाव, समस्या जानना चाहती है। ताकि बदलते वक्त के अनुरूप किसानों के हित में योजनाओं का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किसानों का विचार भी प्राप्त किया गया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में वृहद बाजार उपलब्ध होने तथा लीची , आम शहद के लिए जिला के किसान प्रगतिशील हैं। उन्होंने आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जरूरत बताते हुए युवा किसानों से भागीदार बनने की जरूरत बताया। कार्यक्रम में सभी किसानों ने बताया कि सरकारी सहायता, प्रशिक्षण प्राप्त कर तथा सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने किसानों के व्यापक हित में कई आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक भी दिए जो निम्नवत हैं–

1. बोचहा निवासी श्री नीरज नयन ने मक्का उत्पादन। इन्होंने मक्का की खेती को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए मुजफ्फरपुर में मक्का आधारित उद्योग लगाने की मांग की।
2. बोचहा निवासी श्रीमती अनीता कुमारी ने मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन, इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मुझे सरकारी अनुदान मिला है तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से प्रशिक्षण प्राप्त की हूं। यूनिसेफ द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना है तथा एनसीईआरटी किताब में इनकी जीवनी भी शामिल की गई है।
3. सकरा के सोनू निगम कुमार ने उद्यान सब्जी एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार तथा परवल की नई प्रभेद का विकास। इन्होंने परवल की नई प्रभेद विकसित की है तथा एक पौधा से एक एकड़ में परवल पैदा किया है। इन्हें सरकार से अनुदान भी मिला है।
4. मड़बन निवासी श्री राजेश रंजन ने प्राकृतिक जैविक खेती मशरूम एवं उद्यानिक फसल उत्पादन। इन्होंने बताया की आत्मा एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम कीट, मशरूम झोपड़ी के माध्यम से मशरूम का उत्पादन 1500 sqft में करते हैं तथा लाभकारी है। इन्होंने प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
5. बोचहा के श्रीमती अन्नु कुमारी ने सोलर सिस्टम से सिंचाई। सोलर दीदी, महिला किसान ने उत्पाद की बिक्री हेतु बाजार की व्यवस्था की मांग की।
6. सरैया की रश्मि कुमारी ने उद्यानिक फसल की खेती
7. बंदरा के श्री अनिल कुमार सहनी ने कृषि यंत्रीकरण बैंक मक्का एवं बीज उत्पादन। इन्होंने कहा कि कई कृषि यंत्रों पर सरकार अनुदान देती है लेकिन कुछ अन्य कृषि यंत्र के क्रय पर भी अनुदान देने की जरूरत है।

मीठी मक्का की उन्नत उत्पादन तकनीक

मक्का विश्व के लगभग सभी देशों में उगाई जाने वाली फसल हैं जो कि विश्व के सकल खाद्यान्न उत्पादन में एक चौथाई से भी ज्यादा का योगदान देती है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन में भारत का 3 प्रतिशत योगदान है। अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं मेक्सिको के बाद भारत का पांचवा स्थान हैं। मक्का भारतवर्ष के लगभग सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। मक्का मुख्यतः राजस्थान, उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश. जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में उगाई जाती है। मक्का को विश्व में खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता खाद्यान्न फसलों में से सबसे अधिक है। मक्का एक ऐसी फसल है जो विविध परिस्थितियों, जलवायु मृदा आदि में पूरे वर्ष भर के मौसम में उगाई जा सकती है अपितु यह विविध उपयोगों जैसे दाना, भुट्टा बेबीकॉर्न, पॉपकॉर्न चारा आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली विविधता वाली फसल है। इसलिए इसे मीठी मक्का (स्वीट कॉर्न) कहते हैं। इस मक्का को दूधिया अवस्था में ही तोडकर काम लिया जाता है। मीठी मक्का की फसल को परागण के 20 से 22 दिन बाद भुट्टा की तोड़ाई कर लें। स्वीट कॉर्न की खेती वर्ष भर की जा सकती हैं। ये फसल कम समय में तैयार हो जाती है। अतः इससे कम समय में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मीठी मक्का के भुट्टे बाजार में काफी महंगे बिकते हैं अतः किसान इसकी खेती कर अधिक मुनाफा एवं पौष्टिक हरा चारा प्राप्त कर सकता है।

भूमि का चुनाव व खेत की तैयारी : मीठी मक्का के लिए रेतीली दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी जिसका जल निकास की उचित व्यवस्था उत्तम रहती है। लवणीय व क्षारीय भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2–3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करें तत्पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। अंतिम जुताई के समय 10–15 गाड़ी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला दें।

बीज दर एवं बीजोपचार : मीठी मक्का का बीज हल्का होने के कारण 10–12 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। अगर अच्छा अंकुरण चाहिए तो बीजों को रात भर पानी में भिगो कर तथा सुबह छाया में सुखाकर बोने से अंकुरण जल्दी हो जाता है। फसल को मृदा व बीज जनित बीमारियों से बचाव हेतु बीज को थाइरम 2.5–3.0 ग्राम/किग्रा की दर से अथवा 4 ग्राम/किग्रा बीज को एप्रोन 35 एसडी नामक कवकनाशी से उपचारित कर बोयें जिससे पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। बीजों का उपचार क्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी की 5 मिली लीटर या थायोमेथोक्सम 25 ईसी की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की

दर से करें इससे दीमक तथा तना छेदक कीटों से पौधों की प्रारम्भिक सुरक्षा होगी। अगर बीजों को ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी उपचरित कर बुवाई करें।

बुवाई का समयः – वैसे तो मीठी मक्का की बुवाई दिसम्बर एवं जनवरी माह को छोड़ कर सालभर की जा सकती है। लेकिन अच्छा उत्पादन लेने हेतु खरीफ के मौसम में जून–जुलाई एवं रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर के मध्य कर दें।

बुवाई की विधि :– मीठी मक्का बुवाई कतारों या मेड़ों पर ही करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेमी एवं पौधे से पौधे के दूरी 20 से 25 सेमी रखे जिससे तुड़ाई में सुविधा रहती है। बीज को 4–5 सेमी गहराई पर बोयें। इसमें पौधे की संख्या 65.000 से 83,000 हजार प्रति हेक्टेयर हो।

उर्वरक प्रबंधन : मीठी मक्का का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए के लिये नत्रजन 20 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा, पोटेशियम 40 किग्रा एवं जिंक सल्फेट 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें से नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटेशियम व जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बुवाई के समय 10–15 सेमी की गहराई पर कतारों में ऊर कर दें। नत्रजन की शेष आधी मात्रा को 2–3 बार अलग–अलग अवस्थाओं पर दें, जैसे कि पौधे की 8 पत्ती एवं पुष्पन अवस्था।

खरपतवारप्रबंधन : मीठी मक्का की फसल तीनों ही मौसम में खरपतवारों से प्रभावित होती है। समय से खरपतवार नियंत्रण न किया जाए तो उपज में 40–50 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। बुआई से 30–45 दिन तक क्रांतिक समय माना जाता है। मक्का में प्रथम निराई 3–4 सप्ताह बाद की करें उसके 1–2 सप्ताह बाद बैलों से डोरा चला कर कतार के बीच की भूमि खोल देने से लाभ होता है। प्रारंम्भिक 30–40 दिनों तक एक वर्षीय घास व चेड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु एट्राजिन नामक खरपतवारनाशी एक किलो सक्रिय तत्व को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद खेत में छिडकें। छिडकाव के समय मृदा सतह पर पर्याप्त नमी का होना आवश्यक होता है। इसके अलावा एलाक्लोर 50 ईसी (लासो) नामक रसायन 3–4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में मिलाकर बोआई के बाद खेत में समान रूप से छिडकने से भी फसल में 30–40 दिन तक खरपतवार नियंत्रित रहते हैं। बाद में उगने वाले खरपतवारों के लिये एक बार अन्तराशस्य क्रियाएं करके नियंत्रित किया जा सकता है।

सिंचाई प्रबंधन : खरीफ में यदि वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। लेकिन रबी के मौसम में 4–6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। नरमंझरी आने व दाने में दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें।

अंतः फसल : मीठी मक्का के साथ में खरीफ में कम समय में पकने वाली फसल (सोयाबीन, मूंग एवं उड़द) बोई जा सकती हैं। इसके लिये मक्का की 30–30 सेमी पर दो कतार बोई जाती हैं तथा इसके बाद मूंग, उड़द या सोयाबीन की दो कतारें 30–30 सेमी पर कतार के अनुपात में बुआई की जा सकती है।जिससे बोनस के रूप में अंतरवर्तीय फसल मिल जाती है एवं कीट–बीमारी का प्रकोप कम होता है।

भुट्टों की तुड़ाई : बीज के अंकुरण में लगभग 45–50 दिनों के बाद नर मंजरी आती है और इसके 2–3 दिनों के बाद मादा मंजरी (सिल्क) आती है। खरीफ के मौसम में परागण के 15–20 दिनों के बाद मीठी मक्का के भुट्टों की तुड़ाई की जा सकती हैं। इस अवस्था की पहचान भुट्टे के ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से की जा सकती है या इस अवस्था में भुट्टे को नख से दबाने दूध जैसा तरल प्रदार्थ निकलने लगता है। इसके बाद शर्करा स्टार्च में परिवर्तित होने लगती है जिससे मिठास व गुणवत्ता कम होने लगती है। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम करें। हरे भुट्टे को तोडने के बाद बचे हुए हरे पौधे को चारे के रूप में इस्तेमाल करें।

उपयोग : मीठी मक्का को कच्चा या उबालकर खाया जा सकता है। यह सब्जी एवं अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम स्टाइल आदि बनाने में भी प्रयुक्त होता हैं। हरा भुट्टा तोडने के बाद पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी माँग होने के कार डिब्बाबंदी करके निर्यात करने पर अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है।

उन्नत किस्में

किस्म	मौसम	क्षेत्र	अवधि	पैदावार
माधुरी, प्रिया	खरीफ	संपूर्ण	70–75	110–120
एवं अल्मोड़ा	भारत	दिन	क्विं/हे.	
स्वीट कॉर्न,	रबी	संपूर्ण	80–85	250–400
विन स्वीट कॉर्न	भारत	दिन	क्वि.ध्हे	

डॉ. एस.पी. सिन्हा, सूरज प्रकाश एवं डा. विभा कुमारी
कृषि अनुससंधान ससंधान, पटना एवं कृषि महाविद्यालय पूर्णिया

बेबी कॉर्न मक्का की खेती कैसे करें

बेबीकॉर्न(जिसे यंग कॉर्न कॉर्नलेट्स चाइल्ड कॉर्न या बेबी स्वीटकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मकई (मक्का) से लिया जाने वाला अनाज है जिसे जल्दी काटा जाता है जबकि डंठल अभी भी छोटे और अपरिपक्व होते हैं। इसे आम तौर पर पूरा खाया जाता है भुट्टा सहित, जो कि परिपक्व मकई में मानव उपभोग के लिए बहुत कठोर होता है कच्चे, अचार और पके हुए रूपों में। बेबी कॉर्न स्टिर फ्राई व्यजनों में आम है।

भारतवर्ष में मक्का खेती पर अब खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग को ध्यान में रखते हुए प्रगति के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि सब्जी एवं खादय उत्पादों के लिये अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक मक्का या भुट्टा का ही स्वरूप है। बेबी क्रॉर्नशब्द का तात्पर्य शिशु मक्का से है जिसमें पौधे के मध्यम भाग पर गुल्ली या पिंट्या निकल आती है जो रेशम जैसी कोमल कोपल के साथ वृद्धि कर उग आती है। बेबीकोर्न (शिशु–मक्का) कहलाता है। यह एक अत्यंत स्वादिष्ट एवं पोषक–युक्त उत्पाद है। जिसकी आजकल भारत एव विदेशी जैसे थाईलैंड और ताइवान निर्यातक देश के रूप में उभरे हैं। कृषकों ने इसको बड़े स्तर पर व्यवसाय के रूप में विकसित कर लिया है। भारतीय मक्का उत्पादक बेबीकार्न से अभी तक उपयोग एवं आर्थिक महत्व से अपरिचित थे। यही कारण है कि अभी तक बेबीकोर्न का प्रचलन नहीं हो पाया। अब मक्का उत्पादक इसको भी सही एवं उसी तरह से उगा सकते है तथा मक्का की अपेक्षा 3–4 गुणा अधिक शुद्ध लाभ भी प्राप्त होता है।

मिट्टी और जलवायु – यह सभी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न की जा सकती है जहां पर मक्का की खेती की जा सकती है वहीं पर यह खेती भी की जा रही है। अर्थात्

सर्वोतम भूमि दोमट भूमि जो जीवाश युक्त हो उसमें सुगमता से खेती की जा सकती है तथा मिट्टी का पी. एच. मान 7.0 के आस–पास का उचित होता है। बेबीकॉर्न के लिये हल्की गर्म एवं आद्रता वाली जलवायु उत्तम रहती है। लेकिन आजकल कुछ किस्में जो संकर हैं, वर्ष में तीन–चार बार उगायी जाती है।

ग्रीष्म उन्नत किस्में– बेबीकोर्न (मक्का) के उत्पादन हेतु मक्का की चार श्रेष्ठ किस्में हैं जो निम्नलिखित हैं जिनमे तीन संकर एवं एक देशी चयन की हुई है।

संकर–बी.एल. 42. सकर एम. ई. एच 133 सकर एम. ई. एच. 114 तथा अर्ली कम्पोजिट

उपरोक्त किस्मों में से बेबीकॉर्न का आकार लगभग लम्बाई 17.0 से 18.8 सेमी तथा व्यास 15.3 से 1.74 सेमी. छिलका सहित तथा छिलका रहित (गिल्ली) लम्बाई 8.2 से 93 सेमी तथा व्यास 1.16 से 1.18 सेमी. के बीच होता है तथा पौधों की ऊंचाई 164 से 200 सेमी. तक होती है जो 48 से 58 दिन में काटी जा सकती है।उष्म एवं वर्षाकाल इसके लिए उपयुक्त रहता है।

खाद एवं उर्वरक : सड़ी गोबर की खाद 10–12 टन प्रति हेक्टर तथा नत्रजन 150–200 किया, फास्फोरस 60 कि.ग्रा. तथा पोटाश 40 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर है। नत्रजन को तीन भागों में बांटे। प्रथम भाग बुवाई के समय, फास्फोरस व पोटाश भी इसी समय है। नत्रजन का दूसरा भाग 20–25 दिन बाद सिंचाई के तुरन्त बाद दें तथा तीसरा भाग बल्लियां निकलनी आरम्भ होने के समय देने से बल्लड या बेबीकॉर्न की अधिक उपज मिलती है।

बीज की मात्रा : बेबीकॉर्न प्राप्त करने हेतु 30–40 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है।

बुवाई समय एवं विधि : बीज की बुवाई वर्ष में तीन या चार बार की जा सकती है। इसलिये प्रथम बुवाई मार्च–अप्रैल, जून–जुलाई, सितम्बर अक्टूबर तथा कम ठंड वाले क्षेत्रों में दिसम्बर–जनवरी के माह में भी की जा सकती है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तीन मुख्य फसलें ली जा सकती हैं जिनकी अवधि 50–60 दिन की होती है। बुवाई की विधि आमतौर पर पंक्तियों में की जाती है। इन पक्तियों से पक्तियों की दूरी 40 सेमी तथा पौधे से पौधे की आपस की दूरी 20 सेमी रखते हैं क्योंकि पौधे अधिक बड़े नहीं होते हैं। बुवाई देशी हल या ट्रैक्टर द्वारा करनी चाहिए। बीज की गहराई 3–4 सेमी रखनी चाहिए तथा बोते समय नमी पर्याप्त मात्रा में हो। इस प्रकार से इस दूरी की बुवाई का लगभग 1,50,000 पौधों की संख्या प्रति हेक्टर प्राप्त होगी।

सिंचाई : सर्वप्रथम सिंचाई बुवाई से पहले करें क्योंकि बीज अंकुरण हेतु पर्याप्त नमी का होना नितान्त आवश्यक है। बुवाई के 15–20 दिन बाद मौसमानुसार जब पौधे 10–12 सेमी के हो जायें तो प्रथम सिंचाई करनी चाहिए तत्पश्चात् 12–15 दिन के अन्तराल से सर्दियों की फसल में तथा 8–10 दिन के अन्तराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए। क्योंकि बेबीकोर्न या गिल्ली बनते समय पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है।

खरपतवार : वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन फसल में कुछ खरपतवार या जंगली घास हो जाती हैं। जिनको निकालना जरूरी होता है। अन्यथा मुख्य फसल के पौधों से खाद्य प्रतियोगिता करेंगे। अर्थात् इन्हें निकालने के लिये 2–3 खुरपी से गुडाई करें क्या साथ–साथ हल्की–हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ावे। जिससे पौधे हवा में गिर न पाये।

बेबीकॉर्न की तुड़ाई : जब शिशु–गिल्लियों (बेबीकॉर्न) को भुट्टे के छिक्कल से रेशमी कॉपल निकलने के 2–3 दिन के अन्दर ही सावधानीपूर्वक हाथों से तोड़ना चाहिए जिससे पौधे की ऊपरी व निचली पत्तियां टूटने न पायें। इस प्रकार से शिशु गिल्लियों को हर तीसरे चौथे दिन अवश्य तोड़ें। इस प्रकार की वर्तमान किस्मों से 4–5 गिल्लियां प्राप्त कर सकते है।

उपज : बेबीकोर्न मक्का की एक फसल से 20–25 क्विंटल प्रति हैक्टर औसतन प्राप्त कर सकते हैं।

हरे चारे की उपज : इन बेबीकोर्न की फसल प्राप्त करने के पश्चात् हरा चारा भी पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हरा चारा भी किस्म के अनुसार 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। बेबीकॉर्न का बाजार मूल्य 30 रुपये प्रति कि.ग्रा. तथा हरे चारे का 70 रुपये प्रति क्विटल होता है।

बेबी कॉर्न की फसल में कीट व रोग प्रबंधन

बता दें कि बेबी कॉर्न की फसल में शूट फलाई, पिंक बोरर और तनाछेदक कीट ज्यादा लगते हैं। रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30EC 500 मि.ली/एकड़ (Dimethoate 30EC 500ml /acre) या थियाक्लोप्रिड 21.7% एससी 200 मिली/एकड़ (Thiacloprid 21- 7%SC 200ml/acre) की दर से छिड़काव कर सकते हैं।

डा. सुरज प्रकाश, डा. शिव प्रसाद सिन्हा एवं डा. विभा कुमारी
कृषि अनुसंधान संस्थान पटना

ढैंचा की खेती

ढैचा की खेती कर हरित खाद प्रबंधन करना किसानों के हित में बहुत ही सराहनीय कदम साबित होता है। इसके अनेकों लाभ है, जो निम्न प्रकार के हैं।

(1) यह खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है।
(2) सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है।
(3) भू–धरण को नियंत्रित करता है।
(4) खरपतवारों का नियंत्रण करता है।
(5) खेत की आम्लीयता, क्षारीयता एवं लवणीयता को दूर करता है
(6) उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ाता है।
(7) जल धारण क्षमता को बढ़ाकर जल उपयोग क्षमता भी बढ़ाता है।
(8) हरित खाद मलचिंग क्रिया को बढ़ाता है।
(9) मिट्टी की जैविक, भौतिक एवं रसायनिक दशा में सुधार लाता है।
10) मिट्टी की विषाणुता को कम करता है।

ढैंचा की फसल को उगाकर नरम–मुलायम अवस्था में करीब 45–55 दिनों बाद गिली मिट्टी में जल डालकर जुताई कर मिट्टी में मिलाने की क्रिया हरित खाद प्रबधन कहा जाता है। हरित खाद के रूप में ढैन्चा के अलावे सनई, वन नील, नील, मूगं, उरद कोविया, कुल्थी इत्यादि दलहनी कुल के पौधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चुँकि दलहनी पौधों में लिगनीन की मात्रा कम होती है जिससे सड़न की क्रिया जल्द सम्पन्न हो जाती है।

ढैंचा के बीज को अप्रैल–मई महीने में खेतों में नमीकर 30–40 कि0 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से बुआई की जाती है। बीज को कार्वेण्डाजीम नामक दवा से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई के 24–36 घंटे पूर्व उपचार कर बुआई करें।

20:20:10: किलोग्राम नत्रजन स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा प्रति हेक्टर बुआई के समय डाल देनी चाहिए। नमी से खेत में बरकरार रखने से करीब 45–55 दिनों बाद ढैंचा की फसल को ट्रैम्पकर की मदद से खेतों में गिरा कर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर, मिट्टी में पूरी तरह मिलाकर खेतों में पानी लगा दें। आठ–दस दिनों में ये पूर्णता सड़ जाय तब कादवा कर धान की रोपाई कर दें। यदि ढैंचा का वायोमास 250 किलोग्राम/हे. होता है। तो रसायनिक उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि लगातार चार–पाँच वर्ष खेत में हरिखाद प्रवंधन कर दें तो खेतों से पूर्णतः विषाणुलता दूर हो जायेगी। खेत ना आम्लीय–सारीय होकर पूर्णतः खेती योग्य बन जायेगा। ये कार्य हमलोगों के पुर्वज किया करते थे जो अब हम लोगों को अपनाना जरूरी है। कुछ हरित खाद वाले फसल का पोषक मान निम्नप्रकार सुखे भार के आधार पर

पोषक तत्वों की मात्रा (हरितखाद)

फसल	नत्रजन	स्फुर	पोटाश (सूखेआधार पर)
ढैंचा	3.3	0.7	1.3
सनई	2.6	0.6	2.0
नील	2.4	0.3	08
लेविया	2.1	0.5	0.7
पतियों की हरिखाद			
करज	3.2	0.3	1.3
गलाईरीसीडिया	2.9	0.5	2.8
नीम	2.8	0.3	0.4
अकवन (आक)	2.1	0.7	3.6

डॉ एस. पी. सिन्हा
वरीत्र कृषि वैज्ञानिक (यात्रा)
कृ. अनु.सस्थान पटना
एव डा. सगीता कुमारी

बागवानी में आधुनिक खेती करने वाले किसान सम्मानित

बिहार कृषि विभाग सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने आज मीठापुर स्थित कृषि भवन में समस्तीपुर जिले के कोठिया पंचायत, ताजपुर प्रखंड के प्रगतिशील किसान को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रगतिशील किसान श्री संजय कुमार ने अपनी खेती से जुड़े अनुभव एवं पारम्परिक कृषि से हट कर बागवानी को अपनाने से हुई आमदनी में वृद्धि की जानकारी साझा की। सचिव श्री अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धतियों एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे है।

पारम्परिक कृषि से बागवानी की ओर
बागवानी की योजना से मिल रहा लाभ

पारम्परिक कृषि से बागवानी की ओर

किसान श्री संजय कुमार समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखण्ड स्थित ग्राम कोठिया के रहने वाले है। उन्होंने बताया कि पहले वे 20 एकड़ की भूमि पर धान एवं गेहूँ की पारम्परिक खेती करते थे, जिससे उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने बागवानी की ओर रूख करते हुए केला, नींबू, पपीता, बेर, बेल, अमरूद तथा सब्जियों की खेती को अपनाया है, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आत्मा के द्वारा उन्हें राज्य से बाहर विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे उन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने में सफलता प्राप्त की। साथ ही, उन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली का भी लाभ मिला है, जिससे जल संरक्षण के साथ–साथ उनकी फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक खेती की तुलना में व्यवसायिक और तकनीकी खेती अधिक फायदेमंद साबित हो रही है। नई कृषि पद्धतियों के इस्तेमाल से उनकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे उन्हे अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है।

बागवानी की योजना से मिल रहा लाभ

कृषि सचिव श्री अग्रवाल ने उनकी सफलता की सराहना की और किसानों को नई तकनीकों को अपनाने और उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों को बागवानी की ओर प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएँ जैसे–क्लस्टर आधारित बागवानी की योजना, छत पर बागवानी योजना, स्ट्रॉबेरी विकास योजना तथा फल विकास योजना (टिशू

फूल की खेती ने बढ़ाया अरविन्द का मान

मै अरविन्द कुमार मडल, पिता– प्रकाश मडल, ग्राम– चकसुलेमान, पंचायत– फाजिलपुर सकरामा, प्रखंड– सन्हौला का निवासी हूँ। मैंने वर्ष 2011 में किया और 2012 में मैंने अपना कोचिंग संस्था शुरू किया। इसमें ज्यादा प्रगति नही होने के कारण मैंने खेती की ओर रूख किया। इसी क्रम में मैंने आत्मा, भागलपुर के सम्पर्क में गया। वहाँ मुझे गेंदा के फूल की खेती करने की सलाह दी गई। मैंने 2016 में गेंदा के फूलो की खेती की शुरूआत की, ज्यादा जमीन न होने के कारण मैंने 03 कठ्ठा में ही गेंदे के फूल का उत्पादन शुरू किया। मैंने देखा कि इसमें अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा आमदनी है। फिर 2020 में कोरोना काल में लगभग 01 एकड़ में गेंदा लगाया परन्तु इस बार मार्केट न मिलने से मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर 2021 में मैंने पुनः जमीन ठेका पर लेकर बड़े पैमाने पर फूल की खेती की। कोरोना के बाद मार्केट अच्छा होने की बजह से मुझे अच्छी कमाई हुई। फिर मैंने जमीन लीज पर लेकर खेती की, कुल खर्च मिलाकर मुझे रू0 60,000/–लगा एव आमदनी लगभग 1,20,000/–हुई। मैं अपने खेत में पुसा नारंगी किस्म के पौधे लगाता हूँ। फूल की खेती में अच्छे नस्ल का पौधा होने से साल में दो बार इसकी खेती हो जाती है।

बिहार सरकार
कृषि विभाग
उर्वरक क्रय करें उचित मूल्य पर
राज्य में किसानों को उचित मूल्य पर सुगमतापूर्वक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्य (कृषि) मंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के जीरो टॉलरेंस नीति अंतर्गत
उर्वरक संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत राज्यस्तरीय हेल्पलाईन नम्बर
0612-2233555
एवं व्हाट्सएप न.
7766085888
पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज करा सकते हैं।
उर्वरक का नाम | मूल्य/बोरा रु. में
यूरिया (नीम लेपित) (45 किलो) | 266.50
डी.ए.पी. (50 किलो) | 1350.00
बिक्री रसीद अवश्य प्राप्त करें
PR No.- 002711 (Agriculture)D. 2025-26

मूंग की खेती का सही समय

अधिक उत्पादन के लिए बीजोपचार के बाद ही करें बुवाई

किसान इस समय गर्मी यानी जायद में बोई जाने वाली मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मूंग जैसी दलहनी फसलों की बुवाई से यह फायदा होता है कि यह खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं, जिससे दूसरी फसलों से भी बढ़िया उत्पादन मिलता है। मूंग की फसल के लिए ज्यादा बारिश नुकसानदायक होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर 60–75 सेमी तक वार्षिक बारिश होती है, मूंग की खेती वहां के लिए उपयुक्त होती है। मूंग की फसल के लिए गर्म जलवायु की जरूरत पड़ती है। मूंग की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जाती है, लेकिन मध्यम दोमट, मटियार भूमि समुचित जल निकास वाली, जिसका पीएच मान 7–8 हो इसके लिए उत्तम होती है।

ऐसे करें खेत की तैयारी

खेत की पहली जुताई हैरो या मिट्टी पलटने वाले रिजर हल से करनी चाहिए। इसके बाद दो–तीन जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरह भुरभरा बना लेना चहिए। आखिरी जुताई में लेवलर लगाना अति जरूरी है, इससे खेत में नमी लम्बे समय तक संरक्षित रहती है। दीमक से ग्रसित भूमि को फसल की सुरक्षा के लिए क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई से

पहले खेत में बिखेर दें और उसके बाद जुताई कर उसे मिट्टी में मिला दें।

मूंग की इन किस्मों की करें बुवाई

पूसा वैसाखी – फसल अवधि 60–70 दिन , पौधे अर्ध फैले वाले, फलियाँ लम्बी , उपज 8–10 क्विंटल/हैक्टेयर

मोहिनी – फसल अवधि 70–75 दिन, उपज 10–12 क्विंटल/ हैक्टेयर पीला मोजैक वायरस व सर्कोस्पोरा लीफ स्पोट रोग के प्रति सहनशील।

पन्त मूंग 1 – फसल अवधि 75 दिन (खरीफ) तथा 65 (जायद) दिन , उपज क्षमता 10–12 क्विंटल/ हैक्टेयर

एमएल 1 – फसल अवधि 90 दिन , बीज छोटा व हरे रंग का , उपज क्षमता 8–12 क्विंटलध् हैक्टेयर।

वर्षा – यह अगेती किस्म है , उपज क्षमता 10 क्विंटल/ हैक्टेयर

सुनैना – फसल अवधि 60 दिन , उपज क्षमता 12–15 क्विंटल/ हैक्टेयर ग्रीष्म मौसम के लिए उपयुक्त .

जवाहर 45 – इस किस्म को हाइब्रिड 45 भी कहा जाता है, फसल 75–85 दिन अवधि उपज क्षमता 10–13 क्विंटल/ हैक्टेयर, खरीफ के मौसम के लिए उपयुक्त .

कृष्ण 11 – अगेती किस्म फसल अवधि 65–70 दिन , उपज क्षमता 10–12 क्विंटल/ हैक्टेयर .

पन्त मूंग 3 – फसल अवधि 60–70 दिन, ग्रीष्म ऋतू में खेती के लिए उपयुक्त, पीला मोजैक वायरस तथा पाउडरी मिल्ड्यू रोधक ।

अमृत – फसल आधी 90 दिन यह खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त की है, पीला मोजैक वायरस रोग के प्रति सहनशील , उपज क्षमता 10–12 क्विंटल/ हैक्टर।

बीज की मात्रा और बीजोपचार

खरीफ मौसम में मूंग का बीज 12–15 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर लगता है। जायद में बीज की मात्रा 20–25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना चाहिए। 3 ग्राम थायरम फफूंदनाशक दवा से प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने से बीज और भूमि जन्य बीमारियों से फसल की सुरक्षित रहती है। 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर को एक लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ के साथ गर्म कर ठंडा होने पर बीज को उपचारित कर छाया में सुखा लेना चाहिए और बुवाई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से नत्रजन स्थरीकरण अच्छा होता है।

फसल बुवाई का समय

बुवाई खरीफ और जायद दोनों फसलो में अलग अलग समय पर की जाती है। खरीफ में जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुवाई करनी चाहिए।

जायद में मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक बुवाई करनी चाहिए।

कतार से कतार के बीच दूरी 45 से.मी. तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेमी उचित है स

खाद और उर्वरक

खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से पहले मिटटी की जाँच कर लेनी चहिये । फिर भी कम से कम 5 से 10 टन गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद देनी। मूंग के लिए 20 किलो ग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलो ग्राम फास्फोरस 20 किलो ग्राम पोटाश 25 किलो ग्राम गंधक एवम् 5 किलो ग्राम जिंक प्रति हैक्टेयर की आवश्कता होती है।

सिंचाई : खरीफ की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है. परंतु फूल आने की अवस्था पर सूखे की स्थिति में सिंचाई करने से उपज में काफी बढ़ोतरी होती है.

खरीफ महाभियान – 2025

खरीफ मौसम, 2025 में विभिन्न फसलों के बीज की अनुदानित दर पर उपलब्धता से संबंधित सूचना

सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से खरीफ मौसम, 2025 की राज्य योजना में खरीफ फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

योजना में विभिन्न फसलों के बीज का अनुमान्य अनुदान दर, अधिकतम बीज प्राप्त करने की सीमा एवं अनुमानित मूल्य का विवरण निम्नवत् है।

खरीफ महाभियान (2025)

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृ०यो०),राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना घटकवार, फसलवार अनुदान दर की विवरणी

क्र० सं०	योजना का प्रकार	योजना का नाम	अनुदान सहायता राशि दर	फसल	अधिकतम रकवा जिसके लिए अनुदान देय है
अनुदानित बीज वितरण					
1	केन्द्र प्रायोजित योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)	खरीफ, रबी एवं गरमी मौसम में स्वीट कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बेबी कॉर्न बीज वितरण कार्यक्रम	मूल्य का 75 % या 750 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	बेबी कॉर्न	5 एकड़
		खरीफ, रबी एवं गरमी मौसम में स्वीट कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बेबी कॉर्न बीज वितरण कार्यक्रम	मूल्य का 75 % या 2250 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	स्वीट कॉर्न	5 एकड़
		संकर धान के माध्यम से धान उत्पादन में वृद्धि	मूल्य का 50 % या 150 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	संकर धान	5 एकड़
		खरीफ मौसम में मक्का क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन कार्यक्रम	मूल्य का 50 % या 150 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	मक्का	5 एकड़
2	केन्द्र प्रायोजित योजना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अन्तर्गत क्षेत्र आच्छादन हेतु अनुदानित बीज वितरण	मूल्य का 80 % या 135.20 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	अरहर (10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद)	5 एकड़
			मूल्य का 80 % या 100 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	संकर प्रभेद (ज्वार एवं बाजरा)	5 एकड़
			मूल्य का 80 % या 30 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	रागी (10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद)	5 एकड़
			मूल्य का 80 % या 10 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	रागी (10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद)	5 एकड़
3	केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन	राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन अन्तर्गत क्षेत्र आच्छादन हेतु अनुदानित बीज वितरण	मूल्य का 80 % या 110 रु०/कि० ग्रा० दोनो में जो कम हो देय होगा	सोयाबीन	5 एकड़
				अरण्ड (अण्डी)	5 एकड़
फसल प्रत्यक्षण					
1	केन्द्र प्रायोजित योजना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अन्तर्गत प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रु० 3600/प्रत्यक्षण अनुदान सहायता	अरहर प्रत्यक्षण	2 एकड़
			रु० 5000/प्रत्यक्षण अनुदान सहायता (उपादान 3000.00 रु. नगद सहायता 2000.00 रु०)	मिलेट्स प्रत्यक्षण (ज्वार/बाजरा/रागी/कोदो/सावा/चीनी/कांगनी/कुटकी	2 एकड़
2	केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन	राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन अन्तर्गत प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रु० 4000/प्रत्यक्षण अनुदान सहायता	सोयाबीन	2 एकड़
			रु० 3200/प्रत्यक्षण अनुदान सहायता	अरण्ड (अण्डी)	2 एकड़

खरीफ महाभियान में आईए , कृषि विभाग के कार्यक्रमों से लाभ उठाइए ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

धान की सीधी बुआई

''कम लागत-अधिक मुनाफा''

- श्रम लागत में बचत
- पानी की बचत
- समय की बचत
- उर्जा एवं इंधन की बचत
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं टिकाऊपन
- पर्यावरण अनुकूल

अधिक मुनाफा

बी.ए.यू. किसान कॉल सेंटर
1800 3456 455 टोल फ्री नम्बर

बी.ए.यू. एग्रो डॉक्टर
7004528893

डिजिटल रेडियो
green 90.8 FM

खेतों में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए अनुदान

किसान अपने खेतों में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कर सरकार को बिजली बेच कर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं, इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 2 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। देश में किसानों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए देश भर में पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को ना केवल सोलर पम्प की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाता है बल्कि किसानों को अपने खेतों में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए भी अनुदान मिलता है, जिसके माध्यम से किसान सरकार को बिजली बेचकर कमाई कर सकते हैं।

इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के घटक 'अ' के तहत खेतों में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य के इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 02 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर लीज या किराए पर भी दे सकते हैं। एक मेगावॉट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।

क्या है सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए योजना

बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 962 विद्युत उप–केंद्रों से जुड़े 3188 कृषि एवं मिश्रित फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है ताकि बिहार के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं या किराए पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों को सस्ती विश्वसनीय बिजली प्रदान करना है। इस पहल से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों को 25 वर्षों तक एक स्थिर आय स्रोत भी मिलेगा। इस योजना से किसानों को सस्ती, भरोसेमंद और दिन के समय बिजली मिलेगी, जिससे उनकी सिंचाई लागत घटेगी

और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

योजना की प्रमुख बातें

सौर परियोजना के अंतर्गत 1 मेगावाट के सोलर पॉवर प्लांट के लिए 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ प्रति मेगावाट और बिहार सरकार की ओर से 45 लाख प्रति मेगावाट का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान को बैंक से ऋण लेने की सुविधा भी दी जाएगी। सोलर पॉवर प्लांट का निर्माण 12 महीने के भीतर किया जाएगा और उसे विद्युत उप–केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर बिजली की खरीद के लिए 25 सालों का समझौता किया जाएगा। यानी किसान एक बार सोलर प्लांट की स्थापना कर सरकार को 25 सालों तक बिजली बेचकर कमाई कर सकते हैं।

सोलर पॉवर प्लांट के लिए आवेदन कहाँ करें?

योजना के तहत किसान, किसान समूह/सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगकर्ता संघ, स्वयं सहायता संघ बिना किसी तकनीक या वित्तीय मानदंड के आवेदन कर सकते हैं। किसानों को केवल 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट का ईएमडी देना होगा। किसान योजना का लाभ लेने के लिए eproc2-bihar-gov-in पोर्टल पर 2 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों के पास क्लास–3 डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए 590 टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क, 11800 रुपये का टेंडर शुल्क एवं 1 लाख प्रति मेगावाट अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। इच्छुक किसान योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए कंपनी के कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निविदा से संबंधित दस्तावेज, विद्युत उपकेंद्रों की सूची वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए सोलर प्लांट की क्षमता को eproc2-bihar-gov-in पर टेंडर आईडी 93904 से डाउनलोड कर देख सकते हैं।

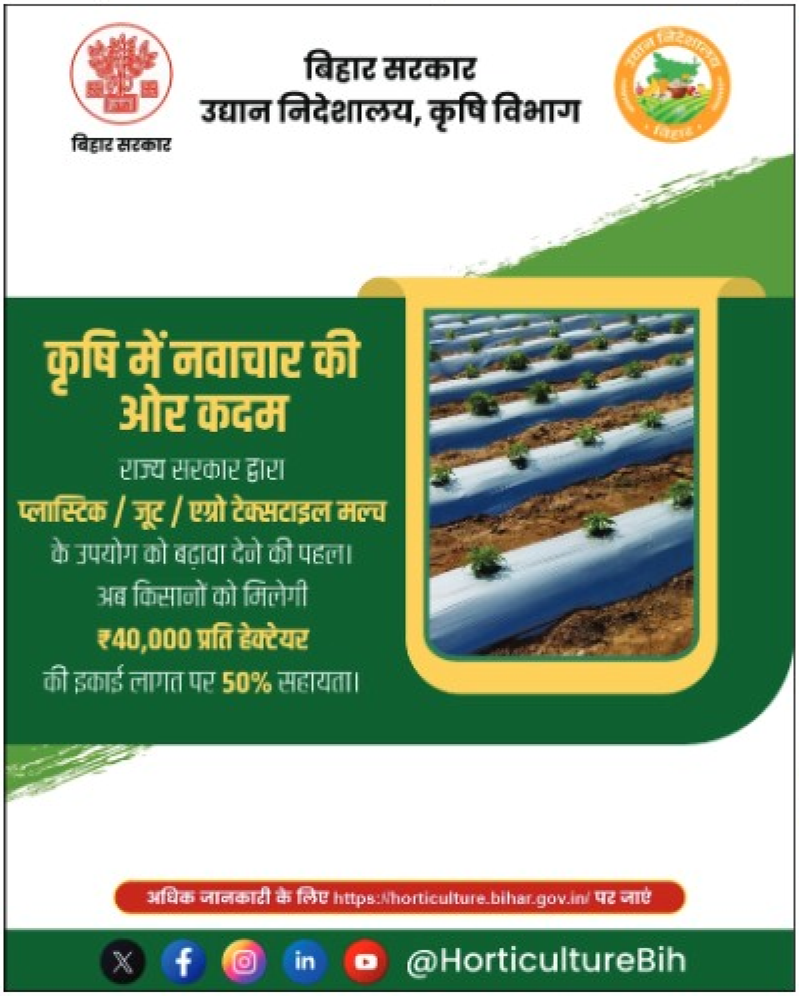

भूमि संरक्षण के तहत इच्छुक किसानों को उनकी निजी जमीन पर तालाब, कूप आदि के निर्माण के लिए 80% से 90% तक का अनुदान मिल रहा है। खासकर अप्रैल और मई माह में जब खेत खाली होते हैं, किसान इन दो महीनों में स्वीकृत तालाब और कूपों का तेजी से निर्माण करते हैं। इसी दिशा में भागलपुर जिले में राज्य योजनामद से जल संरक्षण संरचनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे किसानों को बेहतर जल संचयन की सुविधा मिल रही है।

"किसान कल्याण यात्रा"

लखीसराय जिले में

माननीय उपमुख्यमंत्री

श्री विजय कुमार सिन्हा

की प्रमुख घोषणाएं

जिले में अत्याधुनिक कृषि बाजार की स्थापना की जायेगी। जिसके अंतर्गत लखीसराय कृषि उत्पादन बाजार समिति को 15 करोड़ की लागत से आधुनिक बाजार में परिवर्तित किया जायेगा

जिले में बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा। इसके अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख की लागत से हलसी कृषि फार्म में सीड हब की स्थापना की जायेगी

जिले में 1 करोड़ 4 लाख रूपय की लागत से हलसी कृषि फार्म में प्लग नर्सरी की होगी स्थापना

जिले के हलसी कृषि फार्म में 15 करोड़ की लागत से शहद का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की होगी स्थापना। जिसमें शहद उत्पादन, उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की सारी व्यवस्था होगी

@VijayKrSinhaBih +91-94310 11811 vijaykumarsinha.in

कृषि उद्यमिता के लिये वित्तीय सशक्तिकरण व समर्थन प्रणाली

डॉ नरेन्द्र कुमार शर्मा[1]; डॉ शुभ लक्ष्मी[2]; डॉ॰ डी॰ के महतो[3]; डा॰ आशिष रंजन[4]; डॉ॰ रणवीर कुमार[5]
1 सहायक प्राध्यापक सह कनिय वैज्ञानिक, प्रसार शिक्षा भो.पा.शा.कृ. महाविद्यालय पुर्णियाँ; 2 सहायक प्राध्यापक सह कनिय वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रय भो.पा.शा.कृ. महाविद्यालय पुर्णियाँ 3 सह अधिष्ठाता सह प्राचार्य भो.पा.शा.कृ. महाविद्यालय पुर्णियाँ4 सहायक प्राध्यापक सह कनिय वैज्ञानिक, उद्यान विभाग भो.पा.शा.कृ. महाविद्यालय पुर्णियाँ ; 5 सहायक प्राध्यापक सह कनिय वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्र भो.पा.शा.कृ. महाविद्यालय पुर्णियाँ

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपुर्ण योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। कृषि कुल जनसंख्या के लगभग 58 प्रतिशत लोगों की आजीविका का मुख्य श्रोत है। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता रोजगार के प्रमुख श्रोतों मे से एक है। साधारनताः कृषि उद्यमिता को टिकाउ, समुदाय उन्मुख, सिधे बाजार वाली रूप मे परिभाषित किया जाता है। टिकाउ खेती से तात्पर्य खेती के लिए एक प्रणाली उन्मुख दृष्टिकोण से है जो समाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के अंतरसंबंधों पर जोर देता है। यह कृषि और उद्यमिता का एक लाभकारी संयोजन है और कृषि प्रक्षेत्र को एक व्यवसाय में बदल देता है। कृषि और व्यवसाय का यह संयोजन कृषि उद्यमिता का मार्ग प्रशस्त करता है, जो नवाचार करते हैं, बाजारों की पहचान करते है एवं भिन्न भिन्न तरीके विकसीत करके जरूरतों को पुरा करते है। अन्य उद्यमिता की भांती कृषि उद्यमिता भी जोखिमों से भरा हुआ होता है। कृषि उद्यमिता में जोखिमों को दूर करने के लिए किसानों को सदैव ऋण की आवश्यक्ता रहती है। किसानों की औपचारिक ऋण उपलब्धता की कमी कृषि क्षेत्र के उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी को लागु करने मे एक प्रमुख बाधा है। भारत में कृषि क्षेत्र की बृद्धि और विकास में संस्थागत ऋण का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपी की बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थायें किसानों को ऋण प्रदान करने में लगी हुई है लेकिन ग्रामीण इलाकों के ऋण बाजारों में साहुकारों की दृढता से मौजुदगी औपचारिक वित्तीय संस्थायें किसानों के पहंच के बाहर है और चुनौतीपुर्ण है। कृषि ऋणों के सहारे कृषि विकास को संभव बनाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र के

विकास के लिये आवश्यक एवं समय समय पर कृषि नीतियों की समिक्षा की जाती रही है। दुनिया भर में लघु कृषि उत्पादक उद्यमी, व्यापारी, निवेशक, और उपभोक्ता भी होते है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों के पास कृषि और अन्य आजीविका गतिविधियों के लिये विश्वसनीय और किफायती वित तक पहुंच नहीं है। लघु एवं सिमांत किसान दुरदराज के इलाके में रहते है जहां खुदरा बैंकिग सिमित है एवं कृषि उत्पादन एक सिमित ब्यवसाय है। ग्रामीण ऋण प्रणाली भारतवर्ष में कई ग्रामीण परिवारो के लिये आर्थिक गतिविधियों में सहायक एवं महत्वपुर्ण है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये औपचारिक ऋणों की अनुपलब्धता गरीबी के प्रमुख कारणें में से एक है। भारतवर्ष में कृषि ऋण प्रणाली के लिये कृषि ऋण महत्वपुर्ण है क्योंकि भारतवर्ष में किसानों के पास पुंजी की बहुत किल्लत है। कृषि ऋण किसानों को विभिन्न कच्चे माल जैसे बीज, उर्वरक, भूमी एवं अन्य पुंजीगत उपकरण खरिदने में सहायता प्रदान करती है। कृषि ऋण को बढावा देने के लिये कृषि ऋण को और संबद्ध गतिविधियों के लिये सूलभता से उपलब्ध कराया जाना चहिये। भारत जैसे विकासशील देश को समावेशी वृद्धि एवं विकास के लिये किसानों को विभिन्न समर्थन की आवश्यकता होती है जो निम्न प्रकार हैं–

(क) वित्तीय सहायताः चौधरी और शर्मा 2021 के अनुसार ग्रामिण उद्यमियों खासकर हसिये पर रहने वाले समुदायों के उद्यमियों के लिये ऋण तक पहुंच अक्सर एक बहुत बडी बाधा होती है। माइक्रोफाइनेंस संस्थान, सरकारी योजनायें और क्राउड फंडीग जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपुर्ण भुमिका निभा सकते है।

(ख) तकनीकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणः दास, 2019 के अनुसार कृषि उद्यमियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना उनकी सफलता के लिये आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक कृषि प्रथाओं, ब्यवसाय प्रबंधन, विपणन और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच प्रभावशालिता को बढा सकता है।

(ग) बाजार संपर्क : सैकिया और गोस्वामी, 2016 के अनुसार कृषि उद्यमियों के लिये ब्यापक बाजारों तक पहुच बनाने और अपनी उपज के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिये मजबुत बाजार संपर्क स्थापित करना महत्वपुर्ण हैं। किसान उत्पादक संगठन, इ–कॉमर्स प्लेटफार्म और ग्रामिण बुनियादी ढांचे का विकास बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बना सकता है और लेन देन लागत को कम कर सकता है।

(घ) नीति समर्थनः असम सरकार, 2021 के अनुसार अनुकूल नीतियाँ और विनियमन कृषि उद्यमिता को पनपने के लिये उचित वातावरण बना सकते है। इसमें नवाचार के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना, विनियामक प्रक्रियों को सरल बनाना और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देना शामिल है। भारतवर्ष में उद्यमी किसानों के आर्थीकशसक्तिरण के लिये केन्द्र एवं राज्यों द्वारा अनेक विकासोन्मुखी योजानाएं चलायी जा रही है।

दस हजार नये कृषक उत्पादक संगठन एवं उनका संवर्धन

भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पदक संगठनों का गठन एवं संवर्धन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गयी। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यव 6865 करोड रूपये है। किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन कार्यान्यवन एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है, जो आगे क्लस्टर आधारित ब्यवसाय संगठनों को पांच साल की अवधी के लिये किसान उत्पदक संगठनों का निर्मान और उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिये संलग्न करते हैं। किसान उत्पदक संगठनों को तीन वर्ष की अवधी के लिये प्रति किसान उत्पदक संगठन को 18 लाख रूपये तक की वित्तिय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त किसान उत्पादन संगठनों के प्रत्येक सदस्यों को 2000 रूपये तक की इक्विटी अनुदान का प्रावधान किया गया है जिसकी सिमा 15 लाख रूपये प्रति किसान उत्पादन संगठन है, और किसान उत्पादन संगठनों की संस्थागत ऋण सुलभता सुनिस्चित करने के लिये पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति किसान उत्पादन संगठन को दो करोड रूपये तक की परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सूविधा भी दी गयी है। किसान उत्पादन संगठन के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये उपयुक्त प्रावधान किये गये है। इसके अलावा किसान उत्पादन संगठन को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई एन एम) पोर्टल पर शामिल किया गया है, जो पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से अपनी कृषि वस्तुओं के ऑन लाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है ताकि किसान उत्पादन संगठन को अपनी उपज के लिये बेहतर लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। आज भारतवर्ष में

31/12/2023 तक कुल 7774 किसान उत्पादन संगठन मौजुद हैं।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना

प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना एक किसान संपोषित योजना है जिसकी नींव 24 फरवरी 2019 को रखी गई। ईस योजना में भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिये किया गया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन बराबर चार मासिक किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रूपये का वित्तिय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। अब तक विभिन्न किस्तों के माध्यम से 11 करोड. से अधिक लाभार्थियों को इस योजना से मदद मिली है।

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शूरू की गई एक केंन्द्र संपोषित योजना है जिसका उद्येश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सूरक्षा प्रदान करना है। यह एक अंशदायी योजना है जिसमें छोटे और सिमांत किसान, बहिष्करण मानदंडो के अधीन, पेंसन फंड में मासिक सदस्यता को भुगतान करके योजना के सदस्य बनकर योजना का सदस्य बनाने का विकल्प चुन सकते है। ईस योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा दी गई राशी के बराबर ही सरकार द्वारा भी राशी दी जाती हैं। 18 से 40 आयुवर्ग के प्रत्येक किसान ईस योजना से जुड.कर अपने 60 वर्ष की आयु तक 55 रूपये से लेकर 200 रूपये प्रति मास योगदान कर सकते हैं और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक पंजीकृत किसान 3000 रूपये की राशी पेंशन के रूप में सरकार से पाने के हकदार बन जाते है। ईस योजना जीवन बीमा योजना पेंशन निधि प्रबंधक है और लाभार्थीयों का पंजीकरण सीएससी और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। अब तक 23.38 लाख किसान इस योजना में नामांकन करा चुके है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शूरू किया गया था ताकि किसानों को बुआई से पहले एवं बुआई के बाद सभी रोक थाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किया जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिये उपलब्ध है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पर्याप्त दावा राशी प्रदान करने के लिये एक सरल एवं सस्ती बीमा उत्पाद प्रदान किया जाता है। 2016–17 से लेकर अबतक 5549.40 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया जा चुका है। और दावे के रूप में 150589.10 करोड रूपये का भुगतान किया गया।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना

संशोधित ब्याज अनुदान योजना फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी जैसी अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे किसानों को रियायती अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है। यह योजना उन किसानों के लिये उपलब्ध है जो एक वर्ष के लिये सात प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर तीन लाख रूपये तक के अल्पावधि फसल ऋण का लाभ उठाते हैं। किसानों को शीघ्र एवं समय पर भुगतान के लिये अतिरिक्त तीन प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है। ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करने से प्रभावी ब्याज दर घटकर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाती है। इस योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और सिमांत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल ऋणों पर मोलमोलइ गोदाम रशिदों के विरूद्ध फसल ऋण के लिये भी उपलब्द्ध है।

पांच जनवरी 2024 तक इस योजना के तहत हिस्से के रूप में 5,69,974 करोड रूपये की स्वीकृति ऋण सिमा के साथ 465.42 लाख नये केसीसी आवेदन स्वीकृत किये गये है।

कृषि आधारभूत संरचना कोष

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में मौजुदा बुनियादी ढांचे को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने के लिये कृषि आधारभूत संरचना कोष की स्थापना की गयी। कृषि आधारभूत संरचना कोष ब्याज अनुदान और ऋण गैरंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिये एक मध्यम – दिर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रूपये का कोष वित वर्ष 2020–21 से वित वर्ष 2025–26 तक वितरित किया जायेगा और इस योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2032–33 की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी। इस योजना के तहत बैंको एवं वित्तिय संस्थानों द्वारा 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के छुट के साथ एक लाख करोड़ रूपये ऋण के रूप में प्रदान किये जायेंगे और 2 करोड़ रूपये तक के लिये सी जी टी एम एस ई ऋण के तहत ऋण गैरंटी कवरेज दिया जायेगा। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई अलग अलग एल जी डी कोड में स्थित 25 परियोजनाओं तक इस योजनाओं का लाभ पाने के पात्र है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त लाभार्थियों में किसान कृषि उद्यमी, स्टार्ट अप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन, सहकारी समितियां, किसन उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समुह, बहुउद्देशिय सहकारी समितियां, केंन्द्रीय राज्य एजेंसिया या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाऐं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां, राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघ, किसान उपज संगठन के संघ और स्वंय सहायता समुह के संघ शामिल हैं।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

मधुमक्खी पालन को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास तथा मिठी क्रांति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्षेत्र में इसके कार्यान्यवन के लिये 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू कि गई थी जसकी उपलब्धियां निम्नलिखित है।

(क) कृषि के लिये पांचवे इनपुट के रूप में मधुमक्खी पालन को मंजुरी दी गई है।

(ख) शहद के परिक्षण के लिये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत् चार विश्वस्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालायें और 35 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालायें स्वीकृत की गयीं है।

(ग) मधुमक्खी पालकों / शहद समितियों /फार्मों एवं कंपनियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिये मधुक्रांति पोर्टल शुरू किया गया है।

(ध) अब तक पोर्टल पर 23 लाख मधूमक्खी कॉलोनीयां पंजीकृत की गयीं है।

(ड) देश में 10,000 एफ. पी. ओ. योजना के अंतर्गत 100 शहद एफ. पी. ओ. को लक्षीत किया गया है। नैफेड, एन. डी. डी. बी. और ट्राइफेड द्वारा 88 एफ. पी. ओ. पंजीकृत किये गये है।

(च) एम एम– I, II, और III के अंतर्गत 25 राज्यों / केंन्द्र शासित प्रदेशों को एन बी एच एम के अंतर्गत कवर किया गया है।

(च) एम एम– I, II, और III के अंतर्गत 202 करोड रूपये की 160 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

बजार हस्तक्षेप योजना एवं मुल्य समर्थन योजना

कृषि एवं किसान कल्यान मंत्रालय दलहन, तिलहन, और खोपरा की खरीद के लिये मूल्य समर्थन योजना लागू करता है। कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिये बाजार हस्तक्षेप योजना जो प्रकृति में जल्दी खराब होने वाली है और मूल्य समर्थन योजना में नहीं आती है। हस्तक्षेप का उद्येश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में संकटपुर्ण स्थिति से बचाना है, जब किमतें नींचे गिर जाती है जब किमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती है।

नमों ड्रोन दीदी

सरकार ने हाल ही 2024–25 से 2025–26 की अवधी के लिये 1261 करोड रूपये के परिव्यय के साथ महिला स्वंय सहायता समुहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिये एक केंन्द्रीये येजाना को मंजुरी दी है। इस योजना का उद्येश्य कृषि उद्येश्य (उर्वरक, और किटनाशकों के आवेदन) के लिये किसानों को किराये की सेवायें प्रदान करने के लिये 15,000 महिला स्वंय सहायता समुहों को ड्रोन प्रदान करना है। इस केंन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन

खरीदने के लिये महिला एस एच जी ड्रोन और आवश्यक उपकरण /सहायक शुल्क की लागत का 80 प्रतिशत (अधिकतम आठ लाख रूपये तक) केंन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। महिला स्वंय सहायता समुहों के क्लस्टर स्तरीये संघ शेष राशी (खरीद की कुल लागत माइनस 2024–25 से 2025–26 की अवधी) जुटा सकते है। महिला स्वंय सहायता समुहों के क्लस्टर स्तरीये संघ राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सूविधा के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत सब्सिडी घटाकर) जुटा सकते है। ए आई एफ ऋण पर सी एल एफ को तीन प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जायेगी। यह योजना एस एच जी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम एक लाख रूपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कटाई से पहले और बाद की बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंन्द्रित है, जो किसानों को गुणवत्तापुर्ण इनपुट, बाजार सुविधायें आदी की आपुर्ति में मदद करती है। यह राज्यों की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों के गुलदस्ते से स्थानीय किसानों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को लागू करने के लिये लचीलापन और स्वायत्ता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और समग्र विकास एवं किसानों की आय में बृद्धि के लिये विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये, राज्यों को वितीय सूविधा प्रदान करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संसाधनों की कमी को पूरा करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि स्टार्ट अप कार्यक्रम के तहत 2019–20 से 1524 स्टार्ट अप का चयन किया गया है और स्टार्ट अप को वित्त पोषण के लिये अनुदान के रूप में 106.25 करोड रूपये जारी किये गये है।

सुक्ष्म सिंचाइ कोष

नाबार्ड के साथ 5,000 करोड रूपये की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाइ कोष बनाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिये संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा प्रदान करना है। वित्त पोषण ब्यवस्था के तहत नाबार्ड राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बाजार को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाये गये कोष की संबंधी लागत की तुलना में तीन प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण देता है। शुक्ष्म सिंचाइ कोष के तहत ऋण पर ब्याज सहायता पी डी एम सी के तहत केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। अब तक शुक्ष्म सिंचाइ कोष के तहत 4710.96 करोड रूपये के ऋण वितरित किये गये हैं। आन्ध्रप्रदेश, तामिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाना और राजस्थान राज्यों को 2812.24 करोड रूपये के ऋण वितरित किये गये हैं। मंत्रालय राज्यों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करता है जिसे पीडीएमसी योजना से पुरा किया जाता है। बजट 2021–22 के अनुसार कोष की राशि को दोगुना करके 10,000 करोड रूपये किया जाना है। शुक्ष्म सिंचाइ कोष का अब पी डी एम सी में विलय हो गया है।

परंपरागत कृषि विकास योजना

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का उद्येश्य भूमी की उर्वरता

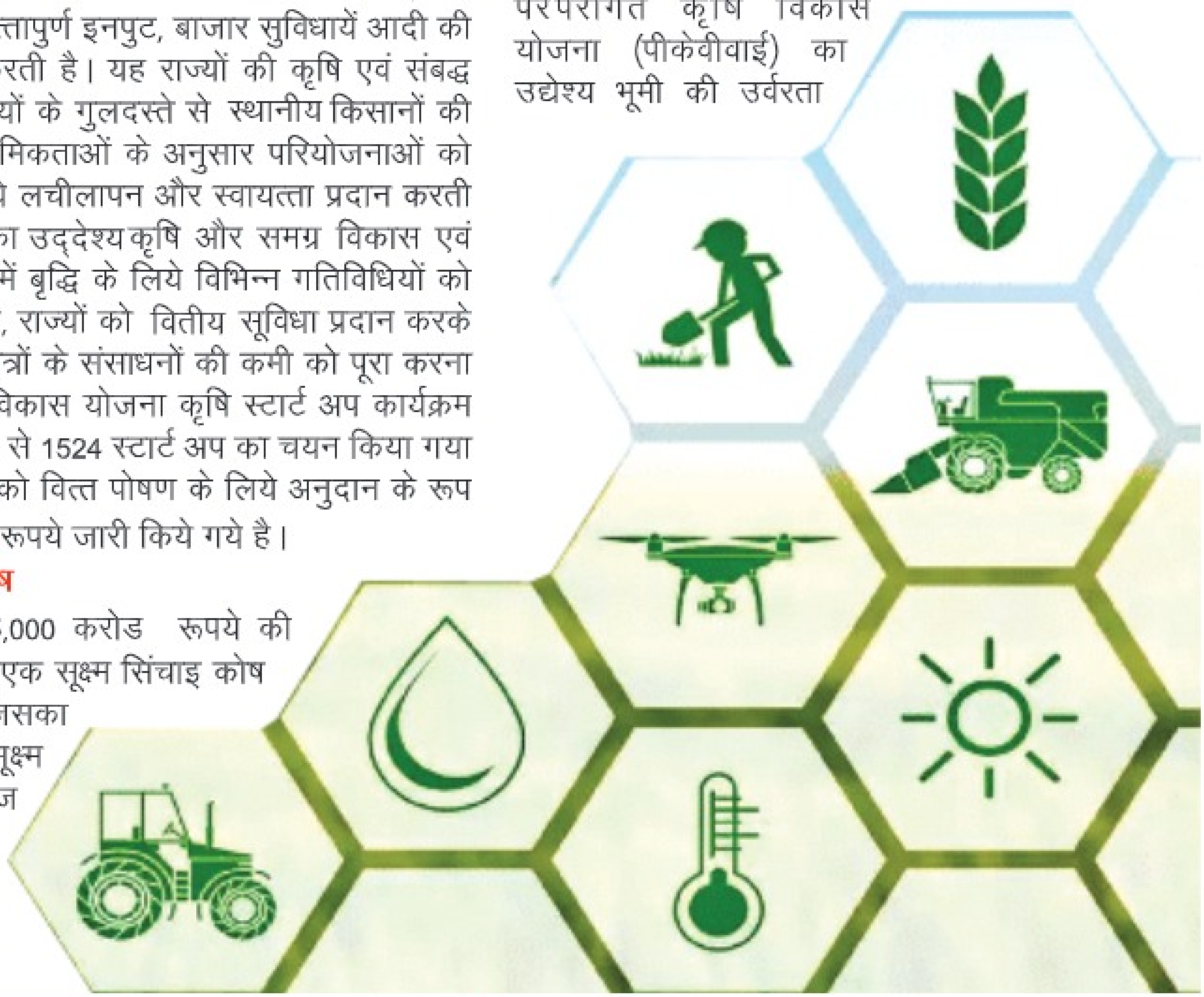

को बढाना है और इस प्रकार कृषि रसायनों के उपयोग के बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ्य भोजन के उत्पादन में मदद करना है। यह योजना बीस हेक्टेयर के युनिट क्लस्टर आकार के साथ क्लस्टर मोड में कार्यान्वित की जाती है। एक समूह में कम से कम 20 किसान शामिल होंगे। यदि व्यक्तिगत जोत कम है तो 20 से अधिक किसान भी शामिल हो सकते हैं। पी के वी वाई के प्रावधान के अनुसार एक समुह में अधिकतम 2 हेक्टेयर का लाभ उठा सकते हैं। जैविक उपज की विपणन की सुविधा के लिये 25 ऐसे क्लस्टरों के लिये लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र के बड` क्लस्टर मे परिवर्तित किया जाता है। इस योजना में राज्यों को प्रति हेक्टेयर 31,500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें से 15,000 रूपये सीधे डी बी टी के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दिये जाते है।

कृषि मशीनीकरण उपमिशन

कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन सन 2014 से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्येश्य भारत में कृषि मशीनीकरण के त्वरित लेकिन समावेशी विकास को उत्प्रेरित करता है। इसके उद्येश्य में छोटे और सिमांत किसानों तक और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुँच को बढ ाना, छोटे जोत और व्यक्तिगत स्वमित्व की उच्च्य लागत के कारण उत्पन्न होने वाले पैमाने के प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई के लिये कस्टम हाइरिंग केन्द्रों को बढावा देना, उच्च्य तकनीक और उच्च्य मूल्य के उपकरणों के लिये केन्द्र बनाना, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पुरे देश में स्थित नामित प्रक्षिण केन्द्रो पर प्रदर्शन, परिक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों सरकारों को 6748.78 करोड रूपये जारी किये गये है। ट्रैक्टर, पावर टीलर, स्वचालित मशिनरी एवं पावर टीलर और पौधा संरक्षण उपकरण सहित 15,75,719 से अधिक कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किये गये हैं और 23472 कस्टम हाइरिंग सेंटर, 504 हाइटेक हब और 20597 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गये है। एसएमएएम के तहत ड्रोन पद्धति को बढावा देने और कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभ को देखते हुए 20/04/2023 को सार्वजनीक डोमेन में किटनाशक और पोषक तत्व अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिये एक मानक फसल विशिष्ठ संचालन प्रक्रिया जारी की गई, जो ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिये संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती है। एसएमएएम के कोष से अब तक 112.38 करोड रूपये ड्रोन संवर्धन के लिये जारी किये गये है जिसमें 79070 हेक्टेयर भूमि में उनके प्रदर्शन के लिये 317 ड्रोन की खरीद और किसानों को सब्सिडी पर 461 ड्रोन की आपूर्ति और किसानो के किराये के आधार पर ड्रोन सेवायें प्रदान करने के लिये सी एच सी को 1595 ड्रोन की आपूर्ति शामिल है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिये पोषक तत्वों की उचित खुराक मिलाने की सिफारिश करता है। मृदा स्वास्थ्य के संकेतक आमतौर पर किसानों के व्यवहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते है। कार्ड में मृदा स्वास्थ्य संकेतक सूचीबद्ध है, जिनका आकलन तकनीकी या प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना किया जा सकता है। यह योजना मृदा परीक्षण की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली शूरू करती है जो जी आइ एस प्लेटफार्म पर एक राष्ट्रव्यापी मृदा उर्वरता मानचित्र विकसित करने में मदद करेगी जिसे आसानी से विकसीत की जा रही वास्तविक समय निर्णय समर्थन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। मृदा उर्वरता मानचित्र विकसित करने के लिये, भारत सरकार ने 2023–24 से 2025–26 के दौरन देश भर में 5 करोड मृदा नमुना लेने का निर्णय किया गया है। आर ए डी का क्रियान्वयन 2014–15 से किया जा रहा है। आर ए डी एकीकृत कृषि प्रणाली (आई एफ एस) को बढ ावा देने के लिये क्लस्टर मोड में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो बहुफसल, चक्रीय फसल, अंतर फसल, मिश्रित फसल पद्धतियों के साथ बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसी संबंद्ध गतिविधियों पर केंन्द्रीत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्येश्य 28 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों (जम्मु काश्मीर और लद्याख) के पहचाने गये जिलों में स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बृद्धि के माध्यम से चावल, गेहुँ, दालों मोटे अनाज (मोटे अनाज और जौ) और पोषक अनाजों का उत्पादन बढ ाना

है। अन्य उद्देश्य में मिट्टी की उर्वरता, व्यक्तिगत खेत स्तर की खेत की उत्पादकता को बढाना है। किसानों के बीच विश्वास बहाल करने के लिये खेत स्तर की अर्थव्यवस्था को बढाना और खेत द्वार पर फसल के बाद मूल्यवर्द्धन शामिल करना है। 2021 में यु एन जी ए द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आई वाई एम) 2023 की घोषणा के बाद से सरकार ने आई वाई एम 2023 के उद्येश्य को प्राप्त करने के और भारतीय बाजरा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिये एक सक्रिय बहुत हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण अपनाया है। देश में पोषक अनाज की नवीनतम उन्नत किस्मों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्द्धता सुनिश्चित करने के लिये 25 बीज हब स्थापित किये गये है। बाजरा पारिस्थिकी तंत्र में 500 से अधिक स्टार्ट–अप और 350 कृषि उत्पादक संध स्थापित किये गये है और अब तक चालू है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

राष्ट्रीय बांस मिशन (एस बी एम)/राज्य विकास एजेंसी (एस बी डी ए) के माध्यम से 23 राज्यों मे और एक केन्द्र शासित राज्य (जम्मु कश्मीर) कार्यान्वित की जा रही है। एन बी एम मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमे क्लस्टर मोड के साथ उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ ने की परिकल्पना की गई है। एन बी एम के तहत 367 बांस नर्सरियां स्थापित किये गये, राज्य स्तरीय मान्यता समितियों द्वारा 212 बांस नर्सरियां मान्यता प्राप्त की गई, गैर वन सरकारी और निजी भूमी पर 46,000 हेक्टेयर बांस के बगान स्थापित किये गये, बांस के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिये 81 इकायां स्थापित किये गये, मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास के लिये 416 ईकायां स्थापित किये गये और किसानों और कारीगरों और उद्यमियों सहित 15,000 लोगों के लिये क्षमता निर्माण किया गया। एन बी एम का विलय अब एन एच एम में विलय हो गया है।

कृषि विपणन समेकित योजना

कृषि विपणन समेकित योजना (आई एस ए एम) राज्य सरकारें को बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार क्षमता निर्माण और बाजार की जानकारी तक पहुंच बनाने के माध्यम से कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जिसे इ–एन एम प्लेटफार्म जिसे ई–योजना के नाम से जाना जाता है को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (इ–एन एम) एक अखिल भारतीय ईलेक्ट्रौनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिये मौजूदा एपी एम सी मंडियों को नियंत्रित एवं नेटवर्क करता है। 23 राज्यों एवं चार केन्द्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ई– नाम प्लेटफार्म एकीकृत किया गया है। और 1.76 करोड से अधिक किसान और 2.5 लाख व्यापारी ई–एन एम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

पुर्वोत्तर क्षेत्र के लिये ऑर्गेनिक मुल्य श्रृंखला विकास योजना

पुर्वोत्तर क्षेत्र के लिये ऑर्गेनिक मूल्य श्रृंखला विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में वस्तु विशिष्ट, संकेन्द्रीत, प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना, ताकी उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोडा जा सके और इनपुट, बीज प्रमाणिकरण से लेकर संग्रहन और एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और पुर्वोत्तर क्षेत्र (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में ब्रांड निर्माण पहल के लिये सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन किया जा सके। 2015–16 से 6/12/2023 तक 1035.17 करोड़ रूपये जारी किये गये है, 379 कृषि उत्पादक संघ/कृषि उत्पादक कंपनी बनाये गये हैं जिसमें 189039 किसान और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन एम ईआ) ऑयल पाम

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईआ) ऑयल पाम योजना भारत सरकार की एक नयी केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2021 में शूरू की गयी और इसक उद्देश्य देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में पुर्वोत्तर राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशष ध्यान दिया गया है। इस मिशन के तहत 2021–22 से 2025–26 तक अगले पांच वर्षो में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ऑयल पाम रोपण के अन्तर्गत लाया जायगा।

कृषि विस्तार उप–मिशन (एसएमएई)

इस योजना का उद्येश्य नयी संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के माध्यम से किसानों तक प्रौद्योगिकी का प्रसार करके विस्तार प्रणाली को किसान संचालित और किसान उत्तरदायी बनाना है ताकी भगीदारी मोड में विस्तार सुधारों को

क्रियान्वित किया जा सके। कृषि विस्तार में की गयी डिजिटल पहलों में शामिल है–

(क) कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिये वस्तुतः एकीकृत प्रणाली कृषि विस्तार के लिये डी पी आइ के रूप में विकसीत की जा रही है।

(ख) अपूर्वा एआई किसान नवाचारों को कैप्चर करना एक सहकर्मी से सहकर्मी सीखने के मंच के रूप में कार्य करता है और विस्तार बॉट के माध्यम से सलाहकार पूर्णप्राप्ति के लिये सामग्री प्रदान करता है और योजनाओं के प्रभाव मुल्यांकन के लिये भी (ए आई एफ) पूर्ण हो चुका है।

(ग) बागवानी कृषि 24.7 रियल टाइम समाचार निगरानी के लिये तमिल भाषा और छवी आधारित कपास कीट पहचान को FLEW/ किसान प्रोफाइल मैपींग के साथ जोड़ा जायगा।

(घ) किसान कॉल सेंटर – कृषि विशेषज्ञों से सीधे संपर्क के लिये विस्तार और अन्य आई टी अनुप्रयोगों और किसान सारथी (आइ सी ए आर) के साथ एकीकरण।

(ड) RAWE विस्तार बॉट और फीडबैक प्रणाली के माध्यम से ब्यवहारी बातचीत के लिये कृषि छात्रों का एकीकरण

(च) आई एम डी – मौसम पुर्वानुमान को डी ए एम यु के माध्यम से एकीकृत किया गया तथा विस्तार के माध्यम से परामर्श प्रदान किया गयां।

(छ) एन आर एल एम – विकेन्द्रीकृत विस्तार तंत्र (कृषि साक्षी, पशु साक्षी, मत्स्य साक्षी, एटीके क्षमता निर्माण एवं डिजिटल विस्तार)

डिजिटल कृषि

डिजिटल कृषि का उद्येश्य कृषि के लिये एक डिजीटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करके कृषि में मौजूदा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना (एन ई जी पी ए) में सुधार करना है जिसे एक खुले श्रोत, खुले मानक और अंतर संचालन योग्य सार्वजनिक वस्तु के रूप में बनाया जायगा, ताकी फसल योजना और स्वास्थ्य के लिये प्रासंगिक सूचना सेवाओं कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल आकलन, के लिये सहायता बाजार आसूचना और कृषि तकनीक उद्योग और स्टार्ट अप विकास के लिये समर्थन के माध्यम से समावेशी के साथ साथ किसान केन्द्रीत समाधान सक्षम हो सके।

एग्रीटेक आर्किटेक्चर के निम्नलिखित स्तर है।

(क) कोर रजिस्ट्रि

(ख) बेस डेटाबेस

(ग) किसान डेटाबेस– भूमि रिकार्ड जुड ी किसान आइडी

(घ) भूखंडो की जियो रिफरेंसिंग

(ड) फसल सर्वेक्षण, फसल योजना और

(च) मृदा मानचित्रण, मृदा उर्वरता

(छ) निजी निवेशकों के लिये एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस

(ज) डेटा एक्सचेंज

निष्कर्ष

उद्यमिता किसी देश के विकास में महत्वपुर्ण भूमिका निभाती है। यह आर्थिक विकास में सबसे महत्वपुर्ण इनपुट में से

एक है। वह सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है। और आम भलाई के लिये काम करता है। किसी देश की प्रगति एक उद्यमी के कौशल और प्रतिभा के साथ साथ उसके देश के नागरिकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने के लिये कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। यद्यपी की आज भारतवर्ष में कृषि उद्यमियों को बहुत सारे माध्यमों से वित्तीय सहायता दी जा रही है और एक टीकाउ समर्थण प्रणाली के विकास के लिये सतत प्रयास किये जा रहें है किन्तु इनके विकास की गती अन्य देशों के मुकाबले में कम है। उचित परिवहन का आभाव, भंडारण सुविधाओं का आभाव, विपणन सुचनाओं का आभाव, कृषि उत्पादों के लिये अस्थिर कीमतें, असमान मांग, स्थानीय मघ्यस्थों का प्रभाव और कई अन्य कारण किसानों के लिये अपने उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया में बहुत परेशानियां उत्पन्न कर रहे है। अपर्याप्त संस्थागत उपाय और सरकारी नीतियाँ तो है लेकिन भ्रष्टाचार और नौकरशाही समस्यों के कारण उनका क्रियान्वयन उचित नहीं माना जाता है। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण ग्रामिण लोगों को सरकार की नीतियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। कृषि उत्पादों के विपणन में अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्याओं में से एक है उत्पादन का उचित मुल्य जो तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक उसको बेचा अथवा उपभोग नहीं किया जाय। भारतवर्ष मे कृषि ऋण कीसानों की पुंजी सुलभता के कारण कृषि ऋण प्रणाली के लिये महत्वपूर्ण है। यह उन्हें विभिन्न कच्चे माल जैसे बीज उर्वरक भूमी और अन्य पुंजिगत उपकरण क्रय करने में मदद करता है। कृषि उत्पादन को बढ ावा देने के लिये कृषि ऋण को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिये सुलभता से उपलब्द्ध कराया जाना चाहिये। भारत जैसे विकाशिल देश को समावेशी विकास और विकास के लिये किसानों से अधिक समर्थन की आवश्यकता है।

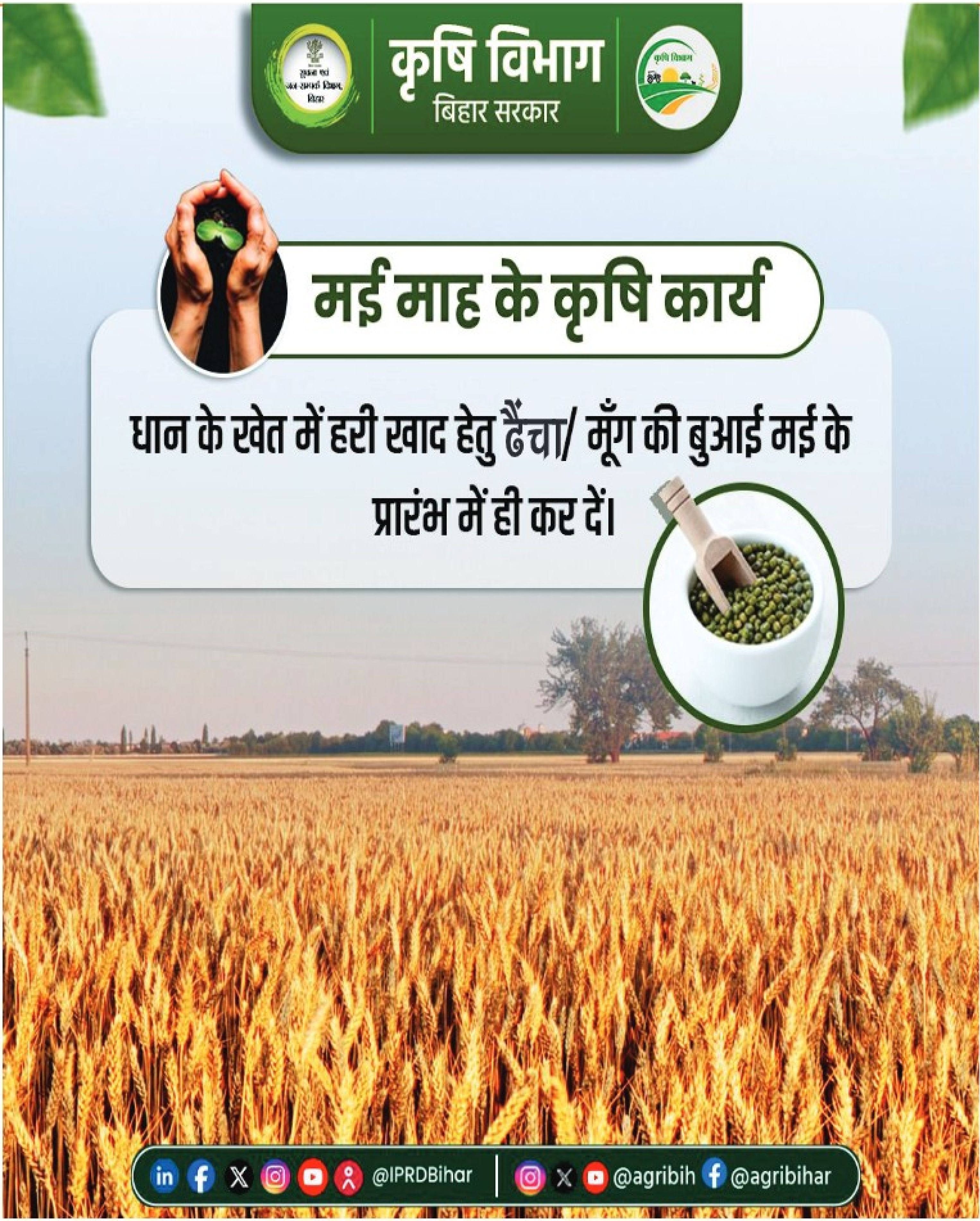
कृषि विभाग
बिहार सरकार
मई माह के कृषि कार्य
धान के खेत में हरी खाद हेतु ढैंचा/ मूँग की बुआई मई के प्रारंभ में ही कर दें।
@IPRDBihar
@agribih
@agribihar

बिहार सरकार
कृषि विभाग
धान की सीधी बुआई (DSR)
बदलते जलवायु परिवेश एवं मृदा के टिकाउपन हेतु एक उपयुक्त विकल्प
आवश्यक क्रियाएं
भूमि समतलीकरण (लेजर लेवलिंग)।
उचित बीज-दर एवं गहराई।
उचित प्रभेदों का चयन।
खाद एवं उर्वरक प्रबंधन।
सही समय पर बुवाई।
बीज उपचार।
किसान कॉल सेंटर
1800-180-1551 (6 AM – 10 PM)
हमें फॉलो करें

ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी सहित कई फसलों की खेती के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों जैसे फल–फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारी अनुदान भी दिया जा रहा है। इस कड़ी में उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा "क्लस्टर में बागवानी योजना" शुरू की गई है। योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत किसानों को अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद चयनित किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत चयनित फसलों के लिए एक गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में क्लस्टर बनाकर किसी एक फसल की खेती की जाएगी। इसमें किसानों को अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया जाएगा। वहीं ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति एकड़ होगी, जिसमें पौध सामग्री सम्मिलित है। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) के लिए ही दिया जाएगा। किसानों को अनुदान की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। जिसमें पहली किस्त में 65 प्रतिशत एवं दूसरी किस्त में 35 प्रतिशत राशि दी जाएगी। गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी तथा पपीता के क्षेत्र विस्तार का लाभ गैर रैयत को भी दिया जायेगा, जिसके लिए उन्हें एकरारनामा उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture-bihar-gov-in पर कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों के पास बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल से प्राप्त पंजीयन संख्या होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा अपलोड की गयी भूमि–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/राजस्व रसीद/एकरारनामा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा आवेदन रद्द करने का कारण ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के उद्यान निदेशालय के कार्यालय में सम्पर्क करें।

आत्मा के सहयोग से समेकित कृषि से बने आत्मनिर्भर

मैं योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–साहेब मंडल, ग्राम–कजरैली, पंचायत–कजरैली, प्रखंड–नाथनगर का निवासी हूँ। मेरे पास कुल 02 एकड़ भूमि है, जिसमें मैं परम्परागत तरीके से गेहूँ, धान, मक्का की खेती कर रहा था, जिससे मेरा जीवन–यापन सामान्य रूप से चल रहा था। मेरी रूचि शुरू से नई तकनीक को कृषि संबद्ध क्षेत्र में अपनाने की थी। मेरे पास वर्ष 2017 में 03 गाय थी जिसका दूध अपने आस–पास के क्षेत्र में बेचकर मुझे ज्यादा लाभ नही होता था। उस समय मेरे पास 3–4 बकरी भी थी। वर्ष 2020–21 में मैंने सुधा डेयरी के सम्पर्क में आकर दूध का व्यवसाय शुरू किया, जिसका मूल्य मुझे 40–45 रू0 / प्रति लिटर मिलने लगा। इसके बाद मुझे देखकर आस–पास के लोगों ने भी सुधा डेयरी को अपना दुध बेचना शुरू किया।

मैं आत्मा, भागलपुर से जुड़ा जहाँ मुझे बकरी पालन के विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका मिला। दुध की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए बकरी की देख–रेख, आहार, दुध दुहने के तरीके आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी मिली। उसके बाद धीरे–धीरे मैंने और गाय ली और 10 बकरियों के साथ अपना व्यवसाय बढ़ाया। गाय के लिए मैंने 150 Sq ft. का शेड बनाया है। मैंने प्रखंड / सहायक तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से आत्मा, भागलपुर से जुड़कर अधिक–से–अधिक जानकारी प्राप्त की। जिससे हम मवेशियों की देख–रेख अच्छी तरीके से कर पाते है तथा अधिक दुग्ध उत्पादन भी होता है। इसके साथ–साथ पशुओं के गोबर का उपयोग अपने खेतो पर खाद के रूप में करता हूँ। मेरे पास मत्स्य पालन की व्यवसाय शुरू करने के लिए 1500 Sq ft. क्षेत्र फल का तालाब है, जिसमें 2500 पंगोशियस मछली का पालन कर रहा हूँ। आगे चलकर आत्मा के सहयोग से इस कार्य को और बड़े पैमाने पर ले जाने की सोच है।

बकरी पालन कर रवि शंकर बने आत्मनिर्भर

मैं रवि शंकर ताँती, पिता– सुदीन ताँती, गॉव– मारूफचक, पंचायत– खिरीबांध, प्रखंड– जगदीशपुर का निवासी हूँ। मेरे परिवार में 05 सदस्य है आरै पूर्व में मैं बढ़ई का काम करता था। इसकी वजह से मुझे आजीविका चलाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। मेरी रूचि कृषि कार्यों में शुरू से रही है। इसी क्रम में मुझे आत्मा, भागलपुर द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां मुझे बकरी पालन के प्रशिक्षण की जानकारी मिली। इसके बाद जगदीशपुर में कार्यरत सहायक तकनीकी प्रबंधक के द्वारा मुझे आत्मा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। मैंने सहायक तकनीकी प्रबंधक की सहायता से आत्मा, भागलपुर से जुड़कर 20 व्यक्ति का एक समूह बनाया। समूह से जुड़ने के बाद मैंने बकरी पालन विषय पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। सालभर में मेरे पास 08–10 बकरियाँ हो गई। मैं बकरी का दुध भी लगभग 200–250 रू0 प्रति लिटर बेच पाता हूँ। आज मेरे पास कुल 30–35 बकरियाँ है। इस व्यसाय के मुनाफे को देखते मैंने अपनी

पत्नी को भी आत्मा, भागलपुर से बकरी पालन का 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया।

विशाल राज कर रहे मधुमक्खी पालन

विशाल राज (मधुमक्खी पालन)

मैं विशाल राज, पिता– श्री पवन कुमार, ग्राम– रामगढ़, पंचायत– तेलघी, प्रखंड– खरीक का निवासी हूँ। मैंने इन्टर तक शिक्षा प्राप्त की है। मेरे पास कूल 01 वीघा जमीन है। मैंने पढ़ाई के साथ–साथ मधुमक्खी पालन करने की सोची। इसी क्रम में प्रखंड/सहायक तकनीकी प्रबंधक की सहायता से मैंने आत्मा, भागलपुर द्वारा आयोजित 03 दिवसीय मधुमक्खी पालन एवं प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलता पूर्वक भाग लिया। मधुमक्खीपालन की शुरूआत मैंने 50 बक्से से की जो मुझे अनुदानीत दर पर प्राप्त हुआ। मधुमक्खी की बक्से की देख–रेख में मुझे लगभग 01 लाख प्रति वर्ष

का लागत लग जाता है। गर्मी के दिनो में मैं अपने बक्सो को लीची के बगीचे में रखता हूँ और ठंड के मौसम में सरसों के खेत में। आज के समय में मेरे पास कुल 300 बक्से है, जिसमें साल का 02–03 लाख लागत लग जाता है, इन बक्सों से कुल 4400–4500 शहद का उत्पादन हो जाता है, जिसे मैं व्यापारी को बेच देता हूँ। इससे मुझे अनुकूल मौसम में लगभग 04–05 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी हो जाती है। आने वाले समय में मैं शहद के साथ–साथ मोम, रॉयल जेली के उत्पादन के लिए भी प्रशिक्षण लेने की सोच रहा हूँ। मैं आत्मा, भागलपुर का बहुत शुक्र गुजार हूँ, जिसके माध्यम से मैं तकनीकी रूप से सबल हुआ और मेरी आर्थिक उन्नति हो रही है।

कृषि को अपनाकर खुशहाल बने किसान

मैंविवेकानंद कुशवाहा, पिता–दीनदयाल कुशवाहा, ग्राम–महुआडीह, पंचायत–राजगॉव, प्रखंड–पीरपैंती का निवासी हूँ। पहले मेरा रूझान सरकारी नौकरी की ओर था लेकिन फिर मुझे अहसास हुआ कि कृषि किसी भी अन्य क्षेत्र की तूलना में फायदेमंद है। फिर मैंने कुंदरी, परवल, करेला और ड्रैगन फ्रुट की खेती 03 एकड़ जमीन पर शुरू की।

आज मैं एक बार में 20 कि0ग्रा0 परवल तोड़ लेता हूँ जिसका मूल्य भी मुझे अच्छा (50 रू0 / कि0ग्रा0) मिलता है। परवल 03–04 दिन पकता नही है जिसके कारण उत्पाद का निर्यात अन्य राज्य में कर सकता है। मैं सब्जी का उत्पादन जैविक पद्धति से करता हूँ जिसमें मैं केंचुआ खाद, कम्पोस्ट, गोमुत्र, नीम की खल्ली साथ ही कीट नियंत्रण के लिए फेरेमोन ट्रैप व येल्लो स्टीकी ट्रैप का प्रयोग करता हूँ। मेरे 01 एकड़ खेत में 25–30 क्विंटल कुंदरी का उत्पादन होता है। इस सब्जियों के बेचकर मुझे 01 महीने में लगभग 30 हजार रूपये की आमदनी हो जाती है। मेरे गॉव में लगभग 500 परिवार सब्जी की खेती करते है। मौसम के अनूकुल प्रतिदिन लगभग 1000 क्विंटल कुंदरी का उत्पादन हो रहा है। यह पंचायत न केवल भागलपुर, पटना को सब्जियों की आपूर्ति करता है बल्कि यह पड़ोसी राज्यों में भी अच्छी मात्रा में सब्जी का निर्यात करता है। गॉव में लगभग 100 एकड़ भूमि पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है जिसमें मुख्यतः कुंदरी, परवल, मिर्च आदि शामिल है।

समेकित कृषि प्रणाली से मिली पहचान

मैं अमित कौशिक, ग्राम–बरहारी, पंचायत–सोनूडीह सतजोरी, प्रखंड–गोराडीह का निवासी हूँ। पहले मैं पारंपरिक खेती कर रहा था, किन्तु खेती में निरंतर स्थिर आय का स्रोत न होना एवं मौसम आधारित खेती के कारण कभी मुनाफा कभी नुकसान सहना पड़ता था। फसल के नुकसान होने की स्थिति में मुझे अपनी आजीविका चलाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने वर्ष 2021 में 13 एक् भूमि पर समेकित कृषि प्रणाली (IFS) अपनाने का निर्णय लिया। इसके लिए मेरे द्वारा आत्मा, भागलपुर, कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर एवं CIFRI बैरकपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानो से प्रशिक्षण लिया गया। प्हे मॉडल की विशेशता यह है कि एक इकाई का उत्पाद दूसरी इकाई के लिए आदान का काम करता है। यह प्रणाली न केवल लागत को कम करती है बल्कि खेती को अधिक स्थाई और लाभकारी बनाती है। मेरे इस मॉडल में मत्स्य पालन, बकरी पालन,

डेयरी, उद्यानिक फसले आदि शामिल है। मत्स्य पालन इकाई अन्तर्गत तैयार तालाब में प्डबए पंगोशियस, कॉमनकार्प, सिंघी और ब्लैक कार्प जैसी मछलियों का पालन किया जा रहा है, जिससे 05 माह के अंतराल में 120 क्विंटल का उत्पादन हो जाता है एवं इसकी 120 रू0 / किलोग्राम की दर से बिक्री हो जाती है। मछलियों से होने वाली आय के साथ–साथ तालाब के पानी और मछलियों के अवशिष्ट का उपयोग भी खेती में उर्वरक के रूप में किया जाता है। मैंने 40 ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियाँ पाल रखी है, जिसका मांस 400–450 रू0 / प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है और प्राप्त अवशिष्ट का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में होता है। डेयरी में 04 देशी गाय, 06 होलस्टीन प्रिसियन (HF) और 02 देशी भैंस शामिल है, जिनसे प्रतिदिन 70–80 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसका औसत मूल्य 400 रू0 / लीटर है। मैंने खेत में 100 आम के पेड़, 250 अमरूद के पेड़ और 500 नींबु के पेड़ लगाये है जिससे मेरी सालाना आय 1.5 लाख रूपये होती है। फलों के बचे हुए हिस्सों का उपयोग बकरीपालन और अन्य कृषि इकाईयों के लिए चारे के रूप में किया जाता है। यह मॉडल एक जीरो–बजट खेती का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ विभिन्न इकाईयों के बीच परस्पर निर्भरता के कारण बाहरी निर्भरता कम हो जाती है। मैंने 50 लाख रूपये का प्रारंभिक निवेश राशि से इस मॉडल की शुरूआत की थी और अब मैं प्रति वर्ष साल का 27–28 लाख रूपये आय अर्जित कर लेता हूँ जिससे मुझे 40% मुनाफा हो रहा है। मैं अपने उत्पादो के प्रसंस्करण कर अचार, जैविक सिरका और अन्य उत्पाद बनाने की योजना बना रहा हूँ और अपने व्यवसाय को ऑनलाईन बाजार में भी विस्तार देने की सोच रहा हूँ।

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान के उन्नत प्रभेद

सबौर सोना धान
BRR-2177

पारिस्थितिकी	सिंचित, ऊपरी भूमि तथा सीधी बुआई के लिए उपयुक्त
बोने का समय	15 जून से 30 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	20 से0मी0
बीज दर	12–15 कि0ग्रा0 / हे0
परिपक्वता की अवधि	130 से 135 दिन
उपज क्षमता	92.2 क्विं0 / हे0 (औसत उपजः 52 से 58 क्विं0 / हे0)
विशेष गुण	छोटा पतला दाना, अत्यंत सुगंधित एवं कोमल चावल, रोग एवं कीट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, मजबूत तना, सीधी बुवाई में भी अत्यधिक उपज देने वाली प्रभेद।

सबौर हीरा धान
BRR-2110

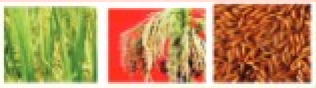

पारिस्थितिकी	वर्षा आश्रित निचली एवं सिंचित भूमि तथा सीधी बुआई के लिए उपयुक्त
बोने का समय	01 जून से 15 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	20 से0मी0
बीज दर	15–20 कि0ग्रा0 / हे0
परिपक्वता की अवधि	145 से 155 दिन
उपज क्षमता	104.6 क्विं0 / हे0 (औसत उपजः 65 से 75 क्विं0 / हे0)
विशेष गुण	मध्यम छोटा दाना, कोमल चावल, अधिक उपज देने वाली, सूखा एवं जल जमाव (10 दिनों तक) अवरोधी, रोग एवं कीट के प्रति सहिष्णु,मजबूत तना,सीधी बुवाई के लिये उपयुक्त

सबौर मोती धान
BRR-2107

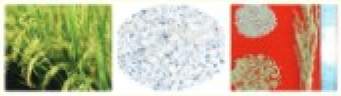

पारिस्थितिकी	वर्षा आश्रित ऊपरी एवं सिंचित भूमि तथा सीधी बुआई के लिये उपयुक्त।
बोने का समय	15 जून से 30 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	20 से0मी0
बीज दर	15–20 कि0ग्रा0 / हे0
परिपक्वता की अवधि	115 से 120 दिन
उपज क्षमता	87.5 क्विं0 / हे0 (औसत उपजः 52 से 55 क्विं0 / हे0)
विशेष गुण	कोमल पतला लम्बा चावल, फुदका कीट, झोंका रोग, जीवाणु झुलसा रोग, शीथ ब्लाइट के प्रति सहिष्णु, मजबूत तना, सीधी बुआई के लिये उपयुक्त।

सबौर कुँवर धान
BRR-2176

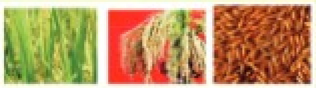

पारिस्थितिकी	सिंचित भूमि तथा सीधी बुआई के लिए उपयुक्त।
बोने का समय	15 जून से 30 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	20 से0मी0
बीज दर	12–15 कि0ग्रा0 / हे0
परिपक्वता की अवधि	115 से 120 दिन
उपज क्षमता	89.8 क्विं0 / हे0 (औसत उपजः 55 से 60 क्विं0 / हे0)
विशेष गुण	कोमल छोटा पतला चावल, अल्प अवधि में अधिक उपज देने वाली, रोग एवं कीट के प्रति सहिष्णु, मजबूत तना, सीधी बुवाई में भी अत्यधिक उपज देने वाली प्रभेद।

सबौर मंसूरी धान
BRR-2141

पारिस्थितिकी	सिंचित भूमि तथा सीधी बुआई के लिए उपयुक्त
बोने का समय	10 जून से 30 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	25 से0मी0
बीज दर	15–20 कि0ग्रा0 / हे0
परिपक्वता की अवधि	135 से 145 दिन
उपज क्षमता	122.4 क्विं0 / हे0 (औसत उपजः 65 से 75 क्विं0 / हे0)
विशेष गुण	मध्यम छोटा दाना, कोमल चावल, रोग एवं कीट के प्रति सहिष्णु, मजबूत तना, मध्यम अवधि एवं सीधी बुवाई मे भी अत्यधिक उपज देने वाली प्रभेद।

www. bausabour.com www. youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित

धान के उन्नत प्रभेद

राजेन्द्र श्वेता

पारिस्थितिकी	सिंचित मध्यम जमीन हेतु उपयुक्त
बोने का समय	01 जून से 10 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15–20 से0मी0
बीज दर	20–25 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	135 से 140 दिन
उपज क्षमता	40 से 45 क्विं0/हे0
विशेष गुण	मध्यम–पतला दाना, उच्च गुणवत्ता युक्त चावल

राजेन्द्र महसूरी

पारिस्थितिकी	वर्षा आधारित गहरी जमीन हेतु उपयुक्त
बोने का समय	25 मई से 10 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15–20 से0मी0
बीज दर	25 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	150 से 155 दिन
उपज क्षमता	55 से 60 क्विं0/हे0
विशेष गुण	मध्यम मोटा दाना

राजेन्द्र कस्तुरी

पारिस्थितिकी	सिंचित मध्यम जमीन के लिए उपयुक्त
बोने का समय	05 जून से 15 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	15 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	20–22 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	125 से 130 दिन
उपज क्षमता	35 से 40 क्विं0/हे0
विशेष गुण	मध्यम मोटा, सुगंधित चावल, खीर एवं चूड़ा के लिए उपयुक्त

www. bausabour.com www. youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित

धान के उन्नत प्रभेद

सबौर दीप

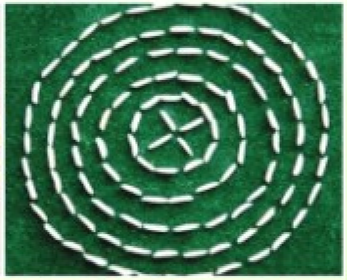

पारिस्थितिकी	सिंचित, मध्यम ऊपरी जमीन हेतु शीघ्र पकने वाली प्रभेद
बोने का समय	25 जून से 10 जुलाई
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	15 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	35–40 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	110 से 115 दिन
उपज क्षमता	35 से 40 क्विं0/हे0
विशेष गुण	लम्बा पतला दाना, पुलाव, बिरयानी एवं चूड़ा के लिए उपयुक्त

स्वर्णा सब-1

पारिस्थितिकी	निचली जमीन, अचानक आई बाढ़ एवं 3 सप्ताह तक जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
बोने का समय	25 मई से 10 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	20 से0मी0
बीज दर	20–25 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	140 से 145 दिन
उपज क्षमता	55 से 60 क्विं0/हे0
विशेष गुण	मध्यम मोटा दाना

www. bausabour.com www. youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित

धान के उन्नत प्रभेद

सबौर सम्पन्न

पारिस्थितिकी	सुखाड़ एवं वर्षा आधारित नीची जमीन के लिये उपयुक्त
बोने का समय	25 मई से 10 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	25 – 30 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	150 से 155 दिन
उपज क्षमता	55 से 60 क्विं0/हे0 (सामान्य परिस्थिति मे) 25 से 30 क्विं0/हे0 (बाढ़/सुखाड़ की स्थिति में)
विशेष गुण	बाढ़ और सुखाड़ दोनों को सहन करने की क्षमता

सबौर श्री

पारिस्थितिकी	असिंचित, मध्यम नीची जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद
बोने का समय	25 मई से 10 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	25 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	135 से 140 दिन
उपज क्षमता	50 से 55 क्विं0/हे0
विशेष गुण	मध्यम पतला दाना, खाने में स्वादिष्ट, चावल एवं चूड़ा के लिए उपयुक्त

www. bausabour.com www. youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित

धान के उन्नत प्रभेद

भागलपुर कतरनी

पारिस्थितिकी	सिंचित मध्यम भूमि के लिये उपयुक्त
बोने का समय	15 जुलाई से 25 जुलाई
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	20 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	150 से 155 दिन
उपज क्षमता	28 से 30 क्विं0/हे0
विशेष गुण	मध्यम पतला, अति सुगंधित चावल, प्रकाश संवेदनशील

सबौर हर्षित

पारिस्थितिकी	कम वर्षा वाले क्षेत्र के लिये उपयुक्त
बोने का समय	10 जून से 25 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	25–30 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	120 से 125 दिन
उपज क्षमता	40 से 45 क्विं0/हे0
विशेष गुण	पुष्पण के समय सूखा सहिष्णु, सुगंधित मध्यम पतला दाना

www.bausabour.com www.youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित

धान के उन्नत प्रभेद

सबौर सुरभित

पारिस्थितिकी	सिचिंत मध्यम भूमि के लिए उपयुक्त प्रभेद
बोने का समय	10 जून से 25 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	15 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	15 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	120 से 125 दिन
उपज क्षमता	35 से 40 क्विं0/हे0
विशेष गुण	अत्यंत लम्बा एवं पतला सुगंधित चावल

सबौर अर्द्धजल

पारिस्थितिकी	कम वर्षा वाले सिंचित मध्यम एवं मध्यम ऊपरी क्षेत्रो के लिए उपयुक्त प्रभेद
बोने का समय	10 से 25 जून
पंक्ति से पंक्ति की दूरी	20 से0मी0
पौध से पौध की दूरी	15 से0मी0
बीज दर	20 कि0ग्रा0/हे0
परिपक्वता की अवधि	120 से 125 दिन
उपज क्षमता	40 से 45 क्विं0/हे0
विशेष गुण	लम्बा पुष्ट दाना, सीधी बुआई के लिये उपयुक्त

www. bausabour.com www. youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण

बोरॉन

वर्धनशील भाग के पास की पत्तियों का पीला होना, आकार में छोटा होना एवं सूखने लगना, पत्तियों का सफेद व हल्के भूरे मृत ऊतक की तरह दिखना, फलों का फटना एवं गिरना, बढ़वार रुक जाना, पैदावार कम हो जाना आदि।

गंधक

नई पत्तियों का हल्का हरा या पीला होना, प्रभावित पत्तियों का बाद में सफेद हो जाना, पत्तियाँ कड़ी होना, जड़ तथा तना लम्बा व पतला होकर सख्त होना, पौधे का विकास धीमा पड़ जाना।

मैंगनीज

नई पत्तियों का रंग पीला-धूसर या लाल-धूसर हो जाना, बाद में पत्तियों पर मृत ऊतक के धब्बे दिखाई देना।

जस्ता

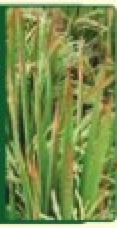

पत्तियों की शिराओं के मध्य हरितिमाहीन, पीला धब्बा जिसका बाद में भूरे/कत्थई रंग में परिवर्तित होना, पत्तियों का आकार छोटा, अवरूद्ध वृद्धि, दो गाँठों के बीच की दूरी कम होने से रसोट का आकार, उपज में कमी का होना।

मैग्नीशियम

पुरानी पत्तियों में हरे रंग की कमी, पत्तियाँ आकार में छोटी, ऊपर की ओर मुड़ी हुई, शिराओं के बीच के भाग में पीलापन, कमजोर टहनियाँ।

फस्फोरस

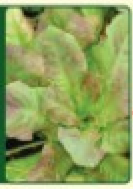

पुरानी पत्तियों, तनों व शाखाओं का रंग जामुनी पड़ना, पत्तियों का छोटा रह जाना, जड़ों एवं पौधों का कम बढ़वार एवं फसल देर से पकना।

कैल्शियम

ऊपर की पत्तियों का मुड़ी हुई, झुर्रीदार तथा किनारे से मुरझाया दिखाई पड़ना, शीर्ष पत्तियों का देर से निकलना, अविकसित फूलों/कलियों का सूखना व झड़ना।

लोहा

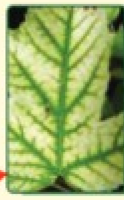

नयी पत्तियों की शिराओं के बीच पीलापन आना, अधिक कमी होने पर पत्तियों का रंग हल्का सफेद पड़ना और सूख जाना।

ताम्बा

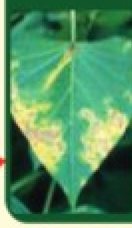

नयी पत्तियों का कोमल, लचीली और हरितिमाहीन होकर पीछे की ओर जीभिका तक मुड़कर लटक जाना, नई शाखाओं का ऊपरी भाग सूखना, बाद में आने वाली पत्तियों का बिना खिले ही पीला पड़कर सूख जाना।

मॉलिब्डेनम

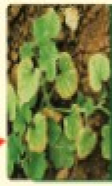

कमी के लक्षण का पुरानी पत्तियों से प्रारंभ होकर नयी पत्तियों की ओर बढ़ना, पत्तियों का हल्के हरे रंग का होना, पुराने पत्तों के आकार का छोटा हो जाना, बाद में सूख जाना, फूल-फल एवं दाना कम लगना, सिकुड़ना, देर से पकना आदि।

पोटैशियम

पुरानी पत्तियों का पीला/भूरा हो जाना, पत्तियों का बाहरी किनारा कट-फट जाना एवं जला हुआ/मुरझाया हुआ प्रतीत होना, पत्तियों का गिरना, तना कमजोर हो जाना, पौधों की धीमी वृद्धि, दाने सिकुड़े हुए।

नाइट्रोजन

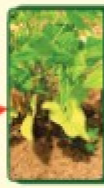

पुरानी पत्तियों का पहले पीला होना, पौधों की बढ़वार में रूकावट, कल्लों की संख्या कम, अधिक कमी की दशा में पूरा पौधा पीला पड़ जाना, उपज व फसल गुणवत्ता खासकर प्रोटीन में कमी।

www. bausabour.com www. youtube.com/bausabour.com +91-7004528893 Kisan Help Line : 1800 3456 455 (Tollfree)

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पुआल (पराली)

समस्या नहीं समाधान

धान/गेहूं का पुआल ना जलाएं
सस्ता और पौष्टिक पशु चारा बनायें

पुआल जलाने से नुकसान

पुआल जलाये जाने से वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही खेत की मिट्टी में पाये जाने वाला केंचुआ एवं राइजोबिया बैक्टिरिया भी मर जाते हैं।

पुआल का चारे के रूप में प्रयोग

धान के पुआल का इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर किया जाए। इससे जहां पुआल का निपटारा आसानी से हो सकेगा वहीं पशुओं के लि सस्ता चारा उपलब्ध हो सकेगा। यदि पुआल का इस्तेमाल किया जाए तो चारा की कीमत तुलनात्मक रूप से काफी कम हो जाती है।

पुआल को पौष्टिक चारा बनायें

गेहूँ एवं धान के पुआल को सुखाकर काटकर तथा इसे यूरिया उपचारित कर संरक्षित किया जा सकता है। धान एवं गेहूँ के भूसे का यूरिया उपचार करने से उसकी भंडारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। किसान चारे की कमी के समय पशुओं को हरे चारे के साथ पुआल को मिलाकर इस मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित

बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है। इससे संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज कराये, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

टॉल फ्री नंबर– 15545 या 1800 345 6268

सब्जी बीज बुवाई की वार्षिक कार्य योजना

माह	सब्जियाँ
जनवरी	बैगन, मिर्च, मूली, तरबूज, खरबूज, भिण्डी, करेला
फरवरी	पत्ता गोभी, बैंग, मिर्च, टमाटर, मूली, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा, खरबूज, ककड़ी, भिंडी
मार्च	तरबूज, भिण्डी, लौकी, कद्दू, करेला, खरबूज, मूली, तोरई, प्याज, ककड़ी, लोबिया, शलजम, ओल
अप्रैल	मूली, अदरक, टमाटर, भिण्डी, ककड़ी, खीरा, ओल
मई	बैगन, चौलाई, ककड़ी, लौकी, शिमला मिर्च, करेला, अदरख, हल्दी
जून	मैथी, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिण्डी, हल्दी, अदरक, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, तोरई, पत्तागोभी
जुलाई	टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी, भिण्डी, हल्दी, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, तोरई
अगस्त	मूली, आलू, लौकी, प्याज, सेम, बरबट्टी, धनिया
सितम्बर	मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लहसुन, मूली, गाजर
अक्टूबर	परवल, शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन, मिर्च, फूल गोभी, लहसुन, मूली, धनिया, मैथी, सौंफ, आलू
नवम्बर	टमाटर,बैगन, पत्ता गोभी, प्याज, मूली, गाजर, धनिया, जीरा, मैथी, आलू, मटर
दिसम्बर	आलू, बैगन, मटर, गाजर, भिण्डी, पालक

प्रकाशन

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

पोस्ट : जगदेव पथ, फुलवारीशरीफ मार्ग, महिला पॉलोटेक्निक के सामने, पटना-800 014

Website: www.bameti.org, e-mail : bameti.bihar@gmail.com